

राजस्थान सरकार Government of Rajasthan

दृष्टिकोण पत्र राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना

Approach Paper for Twelfth Five Year Plan of Rajasthan 2012-17

राज्य आयोजना बोर्ड State Planning Board

दृष्टिकोण पत्र

राजस्थान की बारहवीं पंचवर्षीय योजना

2012-17

अनुक्रमणिका

1	राजस्थान बारहवीं पंचवर्षीय योजना की दहलीज पर	1
2	जल जीवन स्रोत	5
3	गतिशील कृषि की ओर	8
4	औद्योगिक रूपांतरण	11
5	खनिज संपदा	14
6	शिक्षा आधारभूत संरचना	17
7	सभी के लिए स्वास्थ्य	21
8	विस्फोटक शहरीकरण	24
9	सामाजिक सुरक्षा और न्याय	27
10	लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण	30
11	लक्षित सेवा प्रदाय प्रणाली	33
12	अंतिम टिप्पणी	36



राजस्थान 12वीं पंचवर्षीय योजना की दहलीज पर

सार्थक प्रगति, अभी हैं चुनौतियाँ

रियासतों के एकीकरण के बाद वर्ष 1956 में राजस्थान का पुनर्गठन हुआ। आज यह प्रदेश, देश का सबसे बड़े

क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग कि.मी. है। वाला राज्य इसके ऐतिहासिक एवं भौगोलिक संरचनाओं ने इसे आज यह स्वरूप प्रदान किया है। सामान्ती शासन में कृषि विकास, उद्योगों को आकर्षित करने व आधारभूत ढाँचे को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के दृष्टिकोण का नितांत अभाव था। प्रदेश का दो तिहाई हिस्सा शुष्क अर्द्धशुष्क हैं। यह क्षेत्र अनिश्चित मानसून पर निर्भर हैं। प्रदेश में वर्षा कम, अनिश्चित व छितराई होती है। इस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियां भी विकट हैं। लेकिन राज्य की यह विशेषता है कि उसका उत्तरी और दक्षिणी पूर्व का एक तिहाई हिस्सा जलसंपन्न और उपजाऊ है। पशुपालन यहां अतिरिक्त आय का साधन भी है और आय के साधन के साथ-साथ प्रकृति प्राकृतिक प्रकोपों चुनौतियों का सामने करने का कारगर उपाय भी है।

तथ्य तालिका : राजस्थान –विभिन्न वर्षों में				
	y viic	विता स्थापना विता । विता	अधार वर्ष प्रकोष्ठ में	वर्ष 2010—11
		जनसंख्या (मिलियन)	20 (1961)	69
	जनसंख्या	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुष)	908 (1961)	926
		साक्षरता दर %— पुरुष— महिला— कुल—	28 7 18 (1961)	81 53 67 (2011)
		जीवन प्रत्याशा आयु	56 (1990—91)	62 (2001)
		शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर	108 (1980)	59 (2008—09)
	अर्थव्यवस्था	राज्य — सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) रु. करोड़ (2004–05 मूल्यों पर)	32,486 (1980)	1,97,000 (अग्रिम)
		राज्य प्रतिव्यक्ति आय (२००४–०५ मूल्यों पर)	7,721 (1980)	25,615 (एंडवास)
	()	कृषि योगदान जीडीपी में %–	_	22
		सिंचित भूमि अनुपात	34 (1990—91)	43 (2008—09)
	. बंचा	सड़कों की लंबाई (कि.मी.)	41,000 (1980)	1,89,000
	आधारभूत	ऊर्जा उत्पादन क्षमता मेगावाट	1328 (1980)	8,869

यहां के भूगर्भ में 500 मिलियन टन तेल, 12 बिलियन क्यूबिक मीटर लीन गैस, 3 बिलियन क्यूबिक मीटर हाई क्वालिटी गैस के सुरक्षित भंडार हैं। इनके अलावा प्रमुख खिनज संपदा, जिनमें लिग्नाईट 5 बिलियन टन हैं। प्रदेश के परंपरागत समृद्ध एवं संपन्न हस्तशिल्प लोगों को निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराने का एक नायाब साधन है। प्रदेश के लोग कठोर परिश्रमी और उद्यमशील हैं और पूरे देश में उनकी उद्यमशीलता की छाप एवं मान्यता है।

चार्ट में राज्य में अब तक हुई सार्थक प्रगति के प्रमुख आंकड़े दर्शाए गए हैं। प्रदेश की कुल आर्थिक प्रगति में विशेषकर हाल ही के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद संतोषप्रद हैं। वर्ष 1993 के बाद से प्रतिवर्ष यह दर लगभग 5 प्रतिशत रही है। इस दर में उतार चढ़ाव वर्ष 2009—10 में आया, जब यह पिछले वर्ष की दर, 7 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत पर आ गई। इसके बाद फिर वह गत वर्ष की दर 10 प्रतिशत तक पहुंच गई। आबादी में अपेक्षाकृत भारी वृद्धि (22 प्रतिशत पिछली दशाब्दी) द्वारा प्रति व्यक्ति आय को भी कम किया। फिर भी वर्ष 1999—2000 में राजस्थान में गरीबी का भार 15 प्रतिशत था, जो देश की गरीबी (26 प्रतिशत) की तुलना में कम है।

राज्य में विशिष्ठ क्षेत्रों का लेखा जोखा भी मिश्रित हैं: राजस्थान में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगित की है, लेकिन पूरे देश की तुलना में महिला शिक्षा के विकास की दर फिर भी कम रही। यद्यपि जीवन प्रत्याशा आयु में प्रभावी वृद्धि हुई है। किन्तु शिशु और मातृ मृत्यु दर अस्वीकार्य तरीके से उच्च है।

राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007—12) के आकार में भारी वृद्धि के माध्यम से इन कई समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से सुलाझाने का प्रयास किया है। इस योजना का आकार करीब 97,000 करोड़ रुपये है, जो कि दसवीं योजना (33,000 करोड़ रुपये) से तिगुनी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य—समग्र एवं तीव्र विकास के साथ—साथ सतत् ग्रामीण विकास करना था। जिसके लिए इस योजना में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर निवेश में पर्याप्त वृद्धि प्रस्तावित की गई। राज्य आयोजना बोर्ड ने हाल ही में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों का मध्यवर्ती मूल्यांकन किया था। इस मध्यवर्ती मूल्यांकन में योजना के प्रमुख क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान निष्पादन क्षमता में पाई गई किमयों व अंतराल को उजागर किया गया है। इस सिंहावलोकन से राज्य आयोजना बोर्ड द्वारा मुख्य चुनौतियों के संदर्भ में रणनीति तैयार कर कार्यवाही की जा सकेगी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष चुनौतियां

- जल की उपलब्धता एवं मांग में बढता हुआ असंतुलन,
- बिखरी, अनिश्चित एवं विचलन युक्त वर्षा से कृषि विकास पर विशेष एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- जल एवं भूमि की गुणवत्ता में गिरावट
- कम मूल्य वाली खेती
- आधारभूत संरचना का अभाव
- उद्योग विकास की धीमी गति एवं पर्याप्त रोजगार अवसरों का अभाव
- खनन संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं
- शैक्षिक पिछड़ापन— गुणात्मक व परिमाणात्मक
- असंतुलित एवं विसंगति पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं– प्रतिरोधात्मक एवं उपचारात्मक
- अनियोजित शहरीकरण
- महिलाओं, बालिकाओं एवं कमजोर वर्गों विशेषकर जनजातीय एवं अल्पसंख्यकों के साथ भेद—भाव
- पंचायती राज के सशक्तिकरण के माध्यम से योजना में जनसहभागिता को बढावा देना।
- कमजोर सेवा प्रदाय प्रणाली

12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं— इन चुनौतियों का सामना करना, योजना निर्माण में और इस तरह का दृष्टिकोण अपनाना ताकि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिवर्ष 8 से 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आयोजना बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श भी किया है और इसके लिए उचित रणनीति भी बनाई है। इसके लिए योजना से जुड़े सभी भागीदारों की सभी सात संभागों के मुख्यालयों में बैठकें आयोजित कर विज्ञ व्यक्तियों से व्यापक विचार विमर्श किया है। यह दृष्टिकोण पत्र न तो विस्तृत डाक्युमेंट है और न ही योजना है, अपितु इसमें कुछ चुनी हुई प्राथमिकताओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें राज्य सरकार के समस्त क्रिया कलापों व विभागों को सम्मिलित करना संभव नहीं है।

12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र

यह दृष्टिकोण पत्र उन हस्तक्षेपों (इन्टरवेन्शन) को रेखांकित करता है, जो प्रदेश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान हेतु अपेक्षित है। इन हस्तक्षेपों (इन्टरवेन्शन्श) के रेखांकन उपरान्त सुझाव राज्य के तीव्र, टिकाऊ और समग्र विकास हेतु दिये गये हैं।

इस पत्र में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया है, उसकी सूची प्राथमिकता के क्रम में निम्न प्रकार है-

- 1 जल
- 2 कृषि
- 3 उद्योग
- 4 खनिज
- 5 शिक्षा
- 6 स्वास्थ्य
- 7 शहरीकरण
- 8 सामाजिक सुरक्षा व न्याय
- 9 विकेन्द्रीकरण
- 10 सेवा प्रदाय प्रणाली (डिलीवरी सिस्टम)

यह क्रम महत्व का अथवा प्राथमिकता का संकेत नहीं है। यह क्रमबद्धता उन क्षेत्रों को शामिल करने और चिन्हित करने अथवा उन क्षेत्रों में लिंकेजेज स्थापित करने का ब्यौरा है, उदाहरणार्थ जल एवं कृषि। विषयों पर किया गया विचार विमर्श भी किसी एक विभाग पर ही लागू होने का संकेत नहीं है। इसमें राज्य सरकार के अनेक विभागों और उनके क्रियाकलापों से जुड़े बिन्दु हैं।

दृष्टिकोण पत्र तैयार करने का उद्देश्य — इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान दिशा—निर्देश और रणनीतिक सुझाव देना है। संबंधित विभाग और एजेंसियां, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना को विस्तृत स्वरूप प्रदान करेंगे, तब वे इन दिशा— निर्देशों और दृष्टिकोण पत्र के सुझावों को भी अपने दृष्टिपथ में रखें, दृष्टिकोण पत्र का मात्र यही उद्देश्य है।

जल – जीवन स्त्रोत

सर्वोपरि जरूरत है- जल संरक्षण और किफायती उपयोग की

जल की मांग व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समूचे देश में व्यापक स्तर पर जल की कमी महसूस की जा

रही है। लेकिन विशेषकर राजस्थान में यह स्थिति और गंभीर है। प्रदेश का दो तिहाई क्षेत्र शुष्क अथवा अर्ध शुष्क है। देश के 142 मरूस्थली खण्ड (ब्लॉक) में से 85 खण्ड (ब्लॉक) केवल राजस्थान में हैं। अनिश्चित मानसून व छितराई वर्षा से यह स्थिति और भी खराब हुई है।

की दृष्टि से यह प्रदेश, देश में विकटतम स्थिति में हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से भी उच्च दर से बढ़ती आबादी. मवेशियों और उद्योगों द्वारा जल की बढ़ती मांग की तुलना में जल की आपूर्ति करना बहुत कठिन हो गया है। राज्य में 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2000 क्यूबिक मी. से भी घटकर 637 क्यूबिक मी. के स्तर तक पहुँच गई है, जबिक प्रतिव्यक्ति 1000 क्यूबिक मी. की उपलब्धता न्यूनतम मानी जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जल की उपलब्धता और कम हो जाएगी क्योंकि जल की उपलब्धता लगभग स्थिर है। कुछ सीमा तक इस स्थिति में अन्तर्राज्यीय जल की उपलब्धता से राहत मिलती है।

तथ्य	तालिका : बिगड़ती स्थिति	
	सतही जल (2008)	
	उपलब्धता, बिलियन क्यू.मी.	33.9
	उपयोग बिलियन क्यू.मी.	27.6
	प्रतिशत	81.5
	भूजल (2008)	
	उपलब्धता, बिलियन क्यू.मी.	10.6
	उपयोग बिलियन क्यू.मी.	14.6
	प्रतिशत	138.0
	योग (2008)	
	उपलब्धता, बिलियन क्यू.मी.	44.5
	उपयोग बिलियन क्यू.मी.	38.2
	प्रतिशत	85.9
	भारत की तुलना में राज्य का प्रतिशत	
	भूमि क्षेत्रफल	10.4
	जनसंख्या (2011)	5.7
	पशुधन	18.7
	कृषि योग्य क्षेत्र	13.9
	संचित क्षेत्र	7.7
	वर्षा	47.2
	भूजल	1.7
	संतही जल	1.2
	ब्लाक की संख्या	
	अति दोहन वाले ब्लाक (> 100%)	164
	समस्या युक्त (critical) (90-100%)	31
	अर्द्ध समस्यां युक्त (semi -critical) (70-90%)	10
	सुरक्षित	31
	कुल	237

12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र

राज्य में लगभग आधे से अधिक सतही जल अन्तर्राज्यीय हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध होने से यह परिस्थिति सुधरने में कुछ सीमा तक सहायता मिली है। जल की इस कमी से जल के भेदभावपूर्ण अंधाधुंध दोहन को बढ़ावा मिला है और निरंतर यह स्थिति और अधिक खराब हुई है। इससे पिछले दशक में भू—जल से अति दोहित खण्ड द्गने हो गए हैं, जबिक सुरक्षित खण्ड चौगने सिकुड़ गए हैं। इस दिशा में जन चेतना भी बहुत कम है।

देखा जाए तो वर्ष 2005 के अनुसार कृषि कार्यों में जल की मांग का 83 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में और इसके अतिरिक्त मानव व पशुधन के लिए 7.5 प्रतिशत है। इससे जल की कुल मांग 57 बिलियन क्यू.मी. तक बढ़ेगी। यह अनुपात कमोबेश अगले 30 वर्षों तक रह सकता है।

जल की गुणवत्ता भी एक समस्या है। प्रदेश के कुल गांवों के 1/5 गांव और बस्तियां जल की गुणवत्ता की अनेक समस्याओं और संकटों से ग्रस्त है। ये गांव और बस्तियां देश की तीन चौथाई के करीब हैं। इससे पेयजल की स्थिति और अधिक बिगड़ी है। अतः स्पष्ट है कि राज्य में इस परिस्थिति का युद्ध स्तर पर मुकाबला कर विकास के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने की जरूरत है।

जल उपयोग के उद्देश्य एवं लक्ष्य

- सामान्यजन को पेयजल संसाधन समान तरीके से सुलभ हों ।
- हर परिवार को पेयजल सुलभ हो। पेयजल सुलभ कराने को मूलभूत अधिकार माना जाये।
- सभी जल स्रोतों से उपलब्ध जल का संरक्षण किया जाए।
- सभी कार्यों में जल का कुशल एवं प्रभावी उपयोग हो।
- जल वितरण के सभी फैसलों में जनसहभागिता की प्रक्रिया अपनाई जाए। इस भावना और कर्त्तव्य के साथ कि वे ही जल के स्वामी हैं, ताकि उनमें स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो एवं वे अपने उत्तरदायित्वों के प्रति भी जागरूक हों।
- भूजल का गिरता स्तर व जल गुणवत्ता में गिरावट को नियंत्रित किया जावे।
- सेवाओं की लागत को न्यूनतम किया जाए।

जल संग्रहण एवं प्रबन्धन के लिए प्रमुख विचारणीय क्षेत्र

- भू—जल पुनर्भरण को बढ़ावा विशेषकर डार्क जोन व अतिदोहित क्षेत्रों में और उन्हें अतिदोहन से रोका जाए।
- उपयुक्त वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से वर्षा जलपुर्नभरण एवं जल संरक्षण किया जावे।
- सिंचाई परियोजनाओं का प्रभावशाली प्रबंधन किया जाए तथा वाष्पीकरण से हो रही क्षित में कमी लाई जाये।
- कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्र में सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले जल का उपयोग मितव्ययता से किया जाये।
- जल के अभाव एवं जल उपयोग की प्राथिमकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जल की दरें निर्धारित की जावें।

रणनीतिक हस्तक्षेप

- जल से संबंधित गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता विशेषकर पेयजल को।
- जल पुनर्भरण, जल दोहन एवं वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं बनाने (विशेषकर नए निर्माणों में) के लिए विधिक प्रावधान किये जाये।
- सभी स्त्रोतों से जल उपलब्धता व जल के विभिन्न उपयोगों को ध्यान में रखकर जल की प्राथमिकताएं तय की जाये।
- जल रिसाव व जल वाष्पीकरण रोकने की परियोजनाओं को तीव्र गति के साथ शीघ्र पूरी की जाये।
- जहां संभव हो, जल प्रवाह को रोक कर स्थानीय भू जल स्तर बढ़ाने व जल पुनर्भरण हेतु वाटर स्ट्रक्चर निर्मित किये जावे।
- मुख्य बांधों के भराव क्षेत्रों (केचमेंट एरिया) में एनीकट निर्माण को तर्कसंगत बनाया जावें।
- कम जल से सिंचित होने वाली फसलों के प्रारूप को प्रौन्नत किया जावें। सघन जल आधारित सिचांई पद्धित यथा फ्लड इरिगेशन सिस्टम को हतोत्साहित किया जावे। फव्वारा, (स्प्रिंक्लर) और ड्रिप जैसे आधुनिक सिंचाई प्रणालियों जिनसे जल बचत संभव हो को बढ़ावा दिया जावे।
- जल की कीमतों के निर्धारण गरीबों को पेयजल आपूर्ति के हितों को दृष्टिगत रखते हुए संचालन एवं प्रबंधन लागत के आधार पर निर्धारित की जावें। जल की मांग व पूर्ति के असंतुलन को कम करने के लिए विभिन्न उपयोगों की प्राथमिकताओं के आधार पर जल की भिन्न भिन्न दरें निर्धारित की जावें।
- जल वितरण प्रबंधन व उपयोग में उपभोक्ताओं के संगठनों के प्रवेश को प्रोत्साहित किया जावें। एवं जहां संभव हो उपभोक्ता संगठनों का सक्रिय सहयोग लिया जावें।

कृषि को गतिशील दिशा दें

किसानों को पैदावार का पूरा मूल्य मिले और कृषि में अनिश्चितता दूर हो

कृषि राजस्थान की दो तिहाई की आबादी आजीविका का प्रमुख साधन लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उसका योगदान मात्र 22 प्रतिशत है। राज्य में कृषि पूर्णतया मौसम की अनिश्चतता पर निर्भर है. जैसा कि वर्ष 2009-10 में वर्षा की कमी व अकाल के परिणामों से महसूस किया गया। यहां फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है। इससे कृषि उत्पादन में और मूल्य संवर्धन पर भी असर पड रहा है। राज्य पिछले 50 वर्षो में से 40 वर्षो तक सूखे से ग्रसित रहा है।

देश के अन्य भागों की तुलना में यहां कि सर्वाधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर हैं। मौसम की अनिश्चितता

तथ्य	तालिका : मानसून प्रभावित !	नेम्न उत्पादकता	
	क्षेत्र और उत्पादन (2008–09)		
	अनाज	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	96
		उत्पादन लाख टन	149
		पैदावार टन प्रति हैक्टेयर	1.6
	दालें	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	37
		उत्पादन लाख टन	18
		पैदावार टन प्रति हैक्टेयर	0.5
	तेल बीज (तिलहन)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	47
	· ,	उत्पादन लाख टन	52
		पैदावार टन प्रति हैक्टेयर	1.1
	कपास	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	3.0
		उत्पादन लाख टन	1.2
		पैदावार टन प्रति हैक्टेयर	0.4
	क्षेत्र और उत्पादन (2009—10)		
	अनाज	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	98
		उत्पादन लाख टन	117
		पैदावार टन प्रति हैक्टेयर	1.2
	दालें	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	34
		उत्पादन लाख टन	07
	, , , ,	पैदावार टन प्रति हैक्टेयर	0.2
	तेल बीज (तिलहन)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	42
		उत्पादन लाख टन	44
		पैदावार टन प्रति हैक्टेयर	1.1
	कपास	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	4.4
		उत्पादन लाख टन	1.5
		पैदावार टन प्रति हैक्टेयर	0.3
	जीडीपी प्रति हैक्टेयर रूपयों		18,047
^	में (2004–05 की कीमतों पर)	2009—10	15,718

की वजह से यहां की कृषि में भारी उतार चढ़ाव के कारण कृषि का भविष्य कमजोर, अनिश्चित एवं आय की दृष्टि

से कम महत्वपूर्ण है। राज्य में फसलों के प्रारूप में खाद्यान्न का हिस्सा प्रमुख है एवं कुल कृषिगत क्षेत्र में से दो तिहाई क्षेत्र में खाद्यान्नों की ही पैदावार की जाती है। नकदी फसलों में तिलहन में सरसों, तारामीरा और कपास मुख्य फसलें पैदा की जाती हैं। फसलों के प्रारूप में परिवर्तन की संभावना कम है तथा प्रदेश में उद्यानिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल बहुत कम है।

कृषि के इस तरह के विकास से भू—जल स्तर में तीव्र गित से गिरावट आई, क्योंिक सिंचाई के लिए भू—जल का अति दोहन किया गया। मृदा की स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उवर्रकों के ज्यादा उपयोग और उनमें पर्याप्त जैविक मात्रा के अभाव के कारण मृदा असंतुलित और अनुपजाऊ होने लगी। अनिश्चित मानसून का अनियमित अंतराल एवं छितराई वर्षा की वजह से खेती बाड़ी पर मध्यम अविध में असर पड़ा। आज जीवन निर्वाह एवं भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार के किये गये समेकित प्रगति के प्रयासों से विकास की दर 3.5 प्रतिशत तक अर्जित की जा सकती है। इनके अलावा भी कुछ अन्य लक्ष्य जो महत्वपूर्ण हैं — जिनमें कृषि का विविधीकरण, कृषि फसलों एवं पशुपालन के बीच पूरकों का दोहन एवं बागवानी पर विशेष जोर, किन्तु इनका सामान्यतः आंशिक ही दोहन किया जाता है।

ये सभी बिन्दु इन कारणों से कृषि को स्थिर व विकासशील क्षेत्र बनाने के लिए दोहरे एवं विशेष प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता है। वर्तमान में कम मूल्य संवर्द्धित युक्त कृषि दुष्चक्र के प्रभाव से कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कम हो रहा है। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र की प्रगति में ठहराव आ गया है। इस दुष्चक्र को तोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें पूर्व निर्धारित और कुछ नए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता लाने की जरूरत है।

कृषि विकास के उद्देश्य

- सूखा प्रोन्नत कृषि की अधिकतम संभव स्तर तक संभावना तलाशी जाए
- विकास की दर 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक अर्जित करने के प्रयास किये जावें।
- कृषि फसल गतिविधियों का विविधिकरण के माध्यम से आय और रोजगार के अवसर बढ़ाये जाये तथा उसी भांति जोखिम कम करने एवं जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जावें।
- फसलीय और गैर फसलीय गतिविधियों के बीच की अविध में पूरक गतिविधियों जैसे पशुपालन और यथा पशुपालन और मूल्य संविधन के लिए स्थानीय प्रसंस्करण का, विविधिकरण कर दोहन किया जावें।

इनसे कृषि क्षेत्र में प्रमुख गतिविधियों की पहचान की जा सकती है।

कृषि विकास के लिए मुख्य मुद्दे

- लक्ष्य आधारित अनुसंधान व विस्तार
- नई वाणिज्यिक फसलें
 विशेषकर उद्यानिकी और औषि पौध
- कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण
- पशुपालन एवं चारे की खेती पर विशेष बल
- फसल बोए गये क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर प्रसंस्करण को बढावा

इन मुद्दों को विशेष नीति और रणनीतिक उपाय बढ़ावा देंगे

रणनीतिक उपाय

- कृषि अनुसंधान और विस्तार एजेंडे में किसानों की राय एवं योगदान लिया जावें।
- राज्य की कृषि जलवायु की परिस्थिति और मृदा की जरूरतों के हिसाब से ही बीज केन्द्रित
 दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- कृषि जलवायु क्षेत्रों की परिस्थितियों पर आधारित कृषि जोन्स को योजना निर्माण की इकाई के रूप
 में उपयोग में लेते हुए बागवानी सिहत वर्तमान में स्थित फसलों के प्रारूप में परिवर्तन किया जावें
 अथवा नई कृषि पद्धित अपनाई जावे तथा इन कृषि जोन्स में आवश्यक उपकरण / आदान तथा
 विस्तार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें।
- जिन क्षेत्रों में पशुपालन महत्वपूर्ण है, उनमें चारे की फसलों को बढ़ावा दिया जावें।
- प्राथिमक प्रसंस्करण की संभावनाओं को तलाशा जाए—जैसे दाल, तेल मिलें, कोल्डस्टोरेज, ग्रेडिंग एवं
 पैकेजिंग स्टेशन और उनके लिए सहयोग व सुविधाओं का निर्माण करना।
- राज्य की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में फसल बीमा में सुधार एवं सशक्तीकरण
- जल संसाधनों के अध्याय में दिए गए सुझावों के अनुसार जल संरक्षण और उसके किफायती उपयोग के तरीके अपनाए जाएं। इन सुझावों में सघन जल सिंचित फसलों को कम करने पर बल देना, पलड़ सिंचाई प्रणाली को हतोत्साहित करना आदि। इनकी जगह "स्प्रिंक्लर और ड्रिप (फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई) को प्रोत्साहित किया जाए। या फिर उन आधुनिक सिंचाई प्रणाली को अपनाया जाए जिससे कि जल की बचत की अधिकाधिक संभावना बने।



औद्योगिक रूपान्तरण

वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत है। लेकिन इनमे प्रसंस्कृत कृषि, डेयरी उत्पाद, तिलहन, खली, खिनज उत्पादन सीमेंट तथा तांबा एवं जस्ता प्रमुख है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में प्रमुख उत्पादक है। लघु एवं असगिवत क्षेत्र की इकाइयों का योगदान भी इनकी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त है। इनका विनिर्माण क्षेत्र के उत्पाद में हिस्सा 40 प्रतिशत से भी अधिक है। आधुनिक अभियांत्रिकी या केपीटल गुड्स या उपभोक्ता उत्पाद उद्योग की उपस्थिति राज्य में नगण्य हैं। परिणामस्वरूप संगवित औद्योगिक इकाइयों में रोजगार का स्तर कम है। राज्य में कुल 13 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें तीन चौथाई

योगदान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों

का है।

इसलिए आज यह सबसे बड़ी चुनौती है कि औद्योगिकीकरण का इस प्रकार कायाकल्प किया जाए जो विकास को बढ़ावा देने के साथ—साथ रोजगार की समान सुविधाएं सुलभ करायें और कार्य कौशल भी विकसित करे।

राज्य में औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ मूलभूत सीमाएं है, इनमें आधारभूत संरचना का सापेक्षिक अभाव, जल की कमी और उत्पादित माल के लिए स्थानीय बाजार का सीमित होना शामिल है। राज्य में आने वाले नये निवेशकों को प्रशासनिक अड़चनें और दक्षता का अभाव से संबंधित समस्याएं भी नया निवेश करने में किठनाई उत्पन्न करती है। इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान भी खोजा जा रहा है। इसी उददेश्य से राज्य में सिंगल विंडो एक्ट लागू किया गया है तथा इन्डिस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम, 2010 भी इसी कम में

	
तालिका : राजस्थान में उद्योगों की व	
उद्योगों से जीडीपी (2010–11)	रु. करोड़
(अनुमानित)	
मेन्यूफेक्चरिंग	36,164
खनन	6,329
विनिर्माण (कंस्ट्रक्शन)	32,669
विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	7,050
योग	82,211
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2010	आधार वर्ष—1993—94
(अनुमानित)	
मेन्यूफेक्चरिंग	325
खनन	291
विद्युत	351
सामान्य (जनरल)	331
संगठित क्षेत्र में रोजगार 2010	लाख में
(अनुमानित)	
सार्वजनिक क्षेत्र	9.6
निजी क्षेत्र	3.1
योग	12.7

लागू की गई है। दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) राज्य को औद्योगिक नाभि केन्द्रों (हब्स) और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक केन्द्रों के समीप लाएगा।

12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास प्रौन्नत करने के लिए गतिविधियों को सावधानी से चयन करना होगा जो कुछ प्रमुख मुद्दों पर आधारित होगी :

औद्योगिक विकास के उद्देश्य

- तीव्र एवं समग्र विकास, जो रोजगार को बढ़ावा दे, कार्यनिपुणता विकसित करे और टिकाऊ हो।
- राज्य का निरंतर संसाधन संपन्न विकास
- वायु एवं जल का प्रदूषण न्यूनतम हो। साथ की भूमि की गुणवत्ता कम न हो।
- श्रमिकों के साथ न्याय संगत एवं शोषण रहित व्यवहार हो। विशेषकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ।
- स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जावे। निजी उद्योगों को प्रेरक प्रोत्साहन मिले, साथ ही जहां आवश्यक हो वहां सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) को भी जुटाएं।
- सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों (माइक्रो, स्माल और मीडियम) को प्रोत्साहन देने वाला माहौल तैयार किया जाए ताकि वे न्याय संगत और व्यापक रूप से विकसित हो सकें और स्थानीय लोगों को विशाल पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो।

औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने, इसके विकास एवं विस्तार के लिए नवीन क्षेत्रों जिनमें संसाधनों एवं दक्षता के दोहन के माध्यम से साथ आद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके पर विशेष बल देने की महत्ती आवश्यकता है। तािक राज्य संसाधन संपन्न हो और कार्य निपुणता भी बढ़े। इसके लिए उद्योगों के भविष्य को तकनीकी दिशा में प्रवृत्त करने की जरूरत है। इन विचारणीय बिन्दुओं के आधार पर प्रमुख औद्योगिक गतिविधियों को चिन्हित करने में बल मिलेगा।

औद्योगिक विकास के लिए ध्यान देने योग्य मुद्दे

- कृषि प्रसंस्करण, विशेषकर नवीनतम, उच्च तकनीकी यथार्थपरक कृषि उत्पादन जैसे फूलों की खेती एवं उद्यानिकी प्रसंस्करण। इससे प्रसंस्करण इकाइयों के फैलाव का मार्ग प्रशस्त होगा और अतिरेक कृषि मजदूरों को रोजगार मिलेगा, जो उच्च मूल्य संवंधन के रूप मे परिलक्षित होगा
- नवीन रूप से खोजे गए संसाधनों तेल, प्राकृतिक गैस और परंपरागत खनिजों का स्थानीय स्तर पर उचित उपयोग हेतु इन्हें बाहर भेजने की अपेक्षा इनको मूल्य संवर्ध्दन के लिए प्रयोग में लिया जावे। इनमें ऊर्जा उत्पादन एवं पेट्रो रसायन भी शामिल हैं। ये बड़े औद्योगिक परिसर निर्मित करने में मददगार होंगे, जिनका कई गुणा सार्थक असर पड़ेगा।
- दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) द्वारा विकसित के विकास सहयोगी एवं सहायक गतिविधियों को बढावा दिया जावे।
- उद्योगों में कार्य कौशल व निपुणता की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिये बढ़ावा दिया जावे।
- विद्यमान दुर्लभ कार्य कौशल समूह व दक्षता का उपयोग दस्तकारी को आधुनिक बनाने में करें। हार्डवेयर की वे इकाइयां जो कि इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और सूचना तकनीक में लगी है, उनमें इनका उपयोग किया जाए। इससे स्थानीय हुनर विशेषज्ञों का पूरक उपयोग होगा। वे लघु एवं मध्यम दर्जे के विकास में मददगार साबित होंगे।

रणनीतिक हस्तक्षेप

- एकल खिड़की "सिंगल विण्डो" प्रणाली को सशक्त बनाने के माध्यम से नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमित देने वाली एंजेसियों की कार्य प्रक्रिया को सरल, कारगर एवं गतिशील बनाया जाये।
- आधारभूत ढांचों को व्यापक और मजबूत करना— उर्जा उपलब्धता टिकाऊ और अधिक हो, जल की जरूरत निर्धारित गुणात्मकता के साथ भरपूर हो, सड़कों का जाल बिछे और उन्हें मजबूत बनाया जावे, संपर्क और संचार तंत्र विकसित हो, गैस ग्रिड का भी विस्तार हो। जहां कहीं संभव हो, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वांछित माध्यम बने। ऐसे प्रेरक हालात विकसित किए जाएं।
- सौर ऊर्जा पार्कों और पवन ऊर्जा फार्मों जैसे ऊर्जा स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम (राजस्थान इंड्रस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) औद्योगिक संपादाओं
 का आगे और भी निर्माण करें। इनमें से कुछ उद्योगों को विशेष आगे बढ़ाने के लिए बल दिया जाए,
 जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की सूची में उल्लेखित किया गया है।
- ऐसे नए भूमि अधिग्रहण कानून प्रस्तावित किए जाएं, जिससे भूमि खरीदने से संबंधित पाबंदियां के हल आसान हों।
- सहायक औद्योगिक कार्य कौशल विकसित करने और उन्हें बढ़ावा देने वाली उच्च गुणात्मक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। ये संस्थाएं क्षेत्र विशेष की औद्योगिक गतिविधियों के अनुसार स्थापित हों। जैसे कि भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग, धौलपुर और भरतपुर में पत्थर के काम का कार्य कौशल विकसित करने वाले प्रशिक्षण संस्थान।
- संभागीय मुख्यालय स्तर पर औद्योगिक क्लस्टर्स् का विकास
- सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रणाली द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

खनिज संपदा

संपन्न संपदा का अधिकतम दोहन हो

राजस्थान खनिज संपदा में संपन्न है। देश का लगभग 22 प्रतिशत खनिज उत्पादन राज्य में होता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अकेले खनन का 5 प्रतिशत योगदान है। इस खनिज संपदा में तांबा, शीशा और जस्ता जैसे धातु और सेण्ड स्टोन, जिप्सम आदि अधातु खनिज शामिल हैं। जस्ता (जिंक) और रॉक फास्फेट में तो राज्य की अद्वितीय स्थिति है। इस पर आधारित उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट (5 बिलियन टन) के प्रचुर भण्डार हैं। अब इनका उपयोग ऊर्जा संयंत्रों में किया जा रहा है।

पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन जिनमें तेल और गैस शामिल हैं, के भी प्रचुर भण्डारों को खोज की गई है। इनका अब व्यावसायिक स्तर पर दोहन किया जा रहा है। राज्य में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) और गैस के प्रचुर भण्डार है, जो प्रमुख पाइप लाइनों से जुड़े हैं। इन पाइप लाइनों में अन्य उपयोगों के लिए ग्रिड स्थापित करने की संभावनाएं हैं।

खनन केवल रोजगार, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का ही बहुत बड़ा साधन नहीं है, बिल्क यह राजस्व अर्जित करने का भी उल्लेखनीय स्त्रोत है। इस क्षेत्र में वर्ष 2010–11 में करों के माध्यम से संशोधित अनुमानित राजस्व करीब 1929.00 करोड़ रुपये का प्राप्त हुआ। यह राज्य के कुल कर राजस्व का करीब 9 प्रतिशत है। साथ ही खनन पर्यावरण के समक्ष एक बड़ी चुनौती भी है। केन्द्रीय पर्यावरण और वन

तथ्य तालिका : भविष्य के लिए कतिपय मुख्य स्रोत			
	हाइड्रो कार्बन भंडार		
	तेल	480 ਸਿ0 ਟ0	
	लीन गैस	11,800 मि०क्यू०मी०	
	हाईक्वालिटी गैस	10,000 मि0क्यू0मी0	
	लिग्नाइट भंडार	5,000 ਸਿ0 ਟ0	
	मुख्य खनिजों का उत्पादन	000ਟਜ	
	(2008—09 में)		
	चूना पत्थर (लाईम स्टोन)	38,386	
	तांबा ओर	1,050	
	लैड–जिंक	6,612	
	जिप्सम	4,142	
	रॉक फास्फेट	1,323	
	बाल क्ले	1,210	
	चाईना क्ले	750	
	फायर क्ले	615	
	डोलामाइट	134	

अन्य खनिजों में चांदी, केल्साइट, जेमस्टोन, आदि शामिल है।

मंत्रालय ने खनन से पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का एक विस्तृत मूल्यांकन ब्यौरा भी तैयार किया है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और निर्देशों का हमेशा पालन नहीं होता। अवैध खनन और शोषणकारी परिस्थितियों का असर खनन श्रमिकों व कर्मचारियों पर पड़ता है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुछ खनन क्षेत्रों के लिए दिए गए लाईसेंसों का एक लंबे समय से उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। क्योंकि लाईसेंस लेने वालों उन्हें वास्तविक खनन लाईसेंस में परिवर्तित नहीं कराये है। यह खनन के इष्टतम उपयोग में बाधक है। वैज्ञानिक तरीके से खनिज संपदा का अंवेषण विशेषकर प्रयोगात्मक छेदन (ड्रिलिंग) भी हाल ही में क्षीण हो गया है। इस स्थिति में शीघ्रतम सुधार की आवश्यकता है।

ऐसे खनन क्षेत्र जो अपेक्षाकृत संपन्न हैं, जिनका अभी तक दोहन शेष है और जिनमें विकास की स्थिर क्षमता है, उनके विकास का लक्ष्य कुल मिला कर अर्जित करना चाहिए। भविष्य में इन खनन क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन, द्रुतगित से करने की बजाय इनके ठोस संरक्षण सम्यक सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए।

खनिज विकास के उद्देश्य

- विकास की भावी संभाविता आधारित विभिन्न खनिज भंडारों और संसाधनों, इनमें "बेस" और "नोबल" धातु (मेटल) भी शामिल हैं का उपग्रह अनुसंधान प्रणाली सहित आधुनिक तकनीकों की स्थापना कर इनका दोहन किया जाए।
- खिनज संपदा एक सीमित संसाधन है, उसके खनन को टिकाऊ रफ्तार से किया जाना चाहिए। इसमें
 वाय्, जल और भूमि प्रदूषण के परिणामों पर भी गौर किया जाना चाहिए।
- प्रमुख खनिज क्षेत्रों जो वन भूमि में स्थित है का दोहन वन विकास को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित
 तरीकें से किया जावें।
- राज्य में ऐसी कच्ची खनिज सामग्री, जिनकी मूल्य संवर्धन संभावनाएं व अवसर हैं, की खोज
 व्यवस्थित तरीके से हो। इस पर गौर किया जाए।
- संभावित दुर्घटना और विस्फोट को न्यूनतम करने के लिए सुरक्षित और निरापद खनन अभ्यास
- श्रमिकों से न्याय संगत एवं शोषण रहित व्यवहार विशेष कर महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति
 एवं जनजाति से
- स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन और निजी निवेशकों के लिए प्रेरक वातावरण, इसमें सार्वजनिक निजी जन सहभागिता (पीपीपी) पूरक बने।

खनिज विकास पर ध्यान देने योग्य मुद्दे

- पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिंग) और खोज (एक्सप्लोरेशन) को बढ़ावा देना
- खिनज गतिविधियां पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और न्यायोचित हों
- प्रोस्पेक्टिंग लीज और माइनिंग लीज के उपयोग के बीच का फासला कम करके खनिज संसाधनों के उपयोग को तय किये जावे।
- नवीन रूप से खोजे गए संसाधनों तेल, प्राकृतिक गैस और परंपरागत खिनजों का स्थानीय स्तर पर उचित उपयोग हेतु इन्हें बाहर भेजने की अपेक्षा इनको मूल्य संवर्ध्दन के लिए प्रयोग में लिया जावे। इनमें ऊर्जा उत्पादन एवं पेट्रो रसायन भी शामिल हैं। ये बड़े औद्योगिक परिसर निर्मित करने में मददगार होंगे, जिनका कई गुणा सार्थक असर पड़ेगा।

इन मुद्दों पर गौर करने के लिए रणनीति और प्रक्रियाओं में बदलाव लाना होगा-

रणनीतिक उपाय:

- एक निर्धारित समय में सर्वेक्षण परिमटों पूर्वक्षण (प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस) और माइनिंग लीज स्वीकृत करके प्रक्रिया पूरी हो। इससे आवेदनकर्त्ता परेशानी और विलंब से बचेगा। पूर्वेक्षण लाईसेंस (प्रोस्पेक्टिंग) को माइनिंग लाईसेंस में परिवर्तित करने का लंबा अंतराल कम हो। दीर्घाविध लीजेज और माइनिंग लीजेज को किराए पर देने (सब लेटिंग) जैसे अवांछित गतिविधियों पर रोक लगे।
- विदेशी निवेश को सीधा प्रोत्साहन देने और सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पारदर्शी एवं सुस्पष्ट प्रक्रिया हेतु संस्थागत व्यवस्था अपनाई जावे ।
- खिनज सर्वेक्षण, छेदन (ड्रिलिंग) और गवेषणा को गितशील बनाने के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय
 स्तर की किसी एजेंसी को आमंत्रित किया जाए, जिसे पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद पर्यावरण संरक्षण के मानदंड तय किए जाएं। सभी प्रकार के लाईसेंस और परिमिट में इसे अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।
- सभी प्रकार के मजदूरों को रोजगार देने के लिए सुरक्षा और समानता के मानदंड अनिवार्य रूप से लागू किए जाएं। ये मानदंड अनिवार्य रूप से लागू भी हों। खनिज कार्यों में उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक संकटों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनका समाधान भी खोजा जाए।
- आदिवासी आबादी के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दीर्घकालीन विशेष कदम उठाए जाएं।
 क्योंिक खनिज क्षेत्रों में आदिवासियों का निवास है, विशेषकर दक्षिणी राजस्थान को स्थान दिया जाए।
- सामान्यजन की संपत्ति को बढ़ाने के लिए बिल आधारित रॉयल्टी (एड—वेलोरम रॉयल्टी) को लागू किया जाए। इससे सार्थक राजस्व बढ़ेगा। इस राजस्व को पूंजीगत प्राप्तियां समझा जाएं। इनका उपयोग प्राथमिक रूप से मानव विकास और संबंधित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण में किया जाए।
- अवैध खनन रोकने के लिए सघन प्रयास हों। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का योगदान लिया जाए।
 इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त भी किये जाएं।

6

शिक्षा, आधारभूत संरचना

संख्यात्मक उपलब्धियों के अनुकूल गुणात्मकता बढाएं

आधुनिक राज्य में अपने उतरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए शिक्षित नागरिक होना पूर्व शर्त है। जैसािक सभी

उद्यमों के कुशल संचालन में एक कुशल प्रशिक्षित कार्य—बल जरूरी है। पिछले छः दशकों में सापेक्षरूप से साक्षरता की निम्न दर और इस क्षेत्र को कम महत्व द्वारा देश की प्रगति बहुत अवरुद्ध कर रही है।

हाल ही में इस यथार्थ परक बोध के उपरान्त हम शिक्षा की उन्नति के सघन प्रयासों की दिशा में जुटे हैं। जिससें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी बिन्दुओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा के अधिकार के माध्यम से इसे मूल अधिकार मानते हुए सर्वशिक्षा अभियान द्वारा राज्य में विशेष प्रगति की है।

थ्य तालिका : शिक्षा सर्वव्यापीकरण की ओर		
संस्थाओं / नामांकन (2009—10)	संख्या	नामांकन
	(000)	(लाख)
राजकीय पूर्व / प्राथमिक विद्यालय	47	64
सभी पूर्व / प्राथमिक विद्यालय	52	90
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	28	20
सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय	51	32
राजकीय उच्च / माध्यमिक विद्यालय (सैकण्डरी)	9	21
सभी उच्च / सैकण्डरी विद्यालय	18	42
शिक्षक (2009–10)		संख्या (०००)
राजकीय पूर्व / प्राथमिक विद्यालय		94
सभी पूर्व / प्राथमिक विद्यालय		118
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय		122
सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय		211
राजकीय उच्च / सैकण्डरी विद्यालय		64
सभी उच्च / सैकण्डरी विद्यालय		164
उच्चतम शिक्षण संस्थाएं		संख्या
विश्वविद्यालय (सभी प्रकार के)		36
सरकारी अनुदानित कॉलेज		224
निजी कॉलेज		1,245
भर्ती संख्या		4,22,000
शिक्षकों की संख्या		3,961
व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं		संख्या
आईआईटी और पोलोटेक्निक		1013
इंजीनियरिंग कॉलेज		122
मेडिकल कॉलेज		10

12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र

राजस्थान ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में नामांकन में भारी वृद्धि हुई है। तथा बालिकाओं के संबंध में भी यही स्थिति है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक है। किन्तु निजी स्कूलों की ओर रूझान में वृद्वि हुई है। हाल ही के प्रतिवेदनों से यही उजागर हुआ है कि इससे छात्रों द्वारा सीखने की प्रवृत्ति असंतोषजनक रही है। अधिकाशं छात्र जिस कक्षा में पढतें है उन्हें उस कक्षा के स्तर का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। स्कूलों में प्रवेश उपरान्त विद्यालय छोड़ने की दर (ड्रोपआउट दर) भी गहरी चिन्ता का विषय है।

वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोगों के मॉनिटरिंग की अपेक्षा नये स्कूल खोलने एवं शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। इससे सभी श्रेणियों के विद्यालयों में दिशा—िनर्देशों की गुणवत्ता संतोषजनक स्तर से कम है। क्योंकि मुख्य रूप से शिक्षकों की संख्यात्मक शक्ति उनके गुणात्मक स्तर को प्रतिबिम्बित नहीं करती। जो शिक्षकों की कमी और उनकी बढ़ती हुई अनुपस्थिति के रूप में परिलक्षित हो रही है। विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कमी से भी छात्रों की स्थिति और अधिक कमजोर हुई है। शहरी क्षेत्र के स्कूलों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा का गुणात्मक स्तर और भी कम है। हालांकि बालिकाओं के नामांकन में प्रभावी वृद्धि हुई है, किन्तु लिंग पूर्वाग्रह अभी भी प्रकट होता है।

क्षेत्रीय स्तर पर संस्थाओं की बढोतरी मशरूम की तरह हुई है। अधिकांश कॉलेज निजी हैं लेकिन अनुदानित नहीं। इसलिए ये कॉलेज विश्वविधालय अनुदान आयोग द्वारा कर्मचारियों और सुविधाओं के बारे में जारी किए गये मानदण्डों का पालन नहीं करते। इसलिए इन संस्थाओं में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र की पुस्तकें पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है, न कि पाठ्यक्रमों को सीखने, अभ्यास करने अथवा अन्तर्मन में उतारने की। इसलिए आज हर स्तर पर शिक्षा में गुणात्मकता लाने पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार में केवल प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि सैकण्डरी स्कूलों तक को सम्मिलित किया जाए। शिक्षा, छात्रों को परीक्षाएं उत्तींण करने के उपरान्त व्यावसायिक डिग्रियां और डिप्लोमा दिलाने की अपेक्षा विशेष दायित्वों के निर्वहन करना सिखाए। इसलिए व्यावसायिक और पेशागत शिक्षा की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा में बुनियादी उद्देश्यों के बारे में निम्न सुझाव दिये गये है:

शैक्षिक विकास के उद्देश्य

- शिक्षा के अधिकार का कठोर रूप से क्रियान्वयन, इसे सैकण्डरी स्तर तक लागू किया जाए। सभी स्तरों पर नामांकन हेतु शेष अड़चनों को दूर किया जाये।
- सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणात्मकता में वृद्धि की जाये।
- विद्यालयों में प्रवेश उपरांत स्कूल छोड़ने की प्रवृति सभी स्तरों पर कम की जाये।
- ग्रामीण और शहरी और सरकारी और निजी संस्थाओं में बढ़ रहे शैक्षणिक अन्तर को पाटा जाए।
- उच्च स्तरीय शिक्षा व्यावसायिक हो तािक आधुनिक तकनीक संस्थाओं उद्यमों की कुशल और योग्य लोगों की मांग को पूरा किया जा सके।
- विकलांग छात्रों की जरूरतें पूरी की जावे ।

इस हेतु ये कतिपय मुख्य गतिविधियां विचारणीय है :

शैक्षणिक विकास पर ध्यान देने योग्य मुद्दे

- सघन नामांकन अभियान
- स्कूलों में नामांकन किये गये छात्रों का ठहराव
- शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण
- आधारभूत संरचना और परिवहन सहयोग
- विकलांग छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये।
- पाठ्यक्रम एवं शिक्षाशास्त्र का नवाचार विशेषकर व्यावसायिक एवं तृतीयक शिक्षा स्तर पर
- जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रयास

ये कतिपय रणनीतिक उपाय, जो इन गतिविधियों को सक्रिय करेंगे :

रणनीतिक हस्तेक्षप

- स्कूलों में नामांकन एवं ठहराव के अभियानों में समाज की जन सहभागिता बढ़ाई जावे
- योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों और उनके सहयोगियों की नियुक्ति त्वरित की जावे
- नियुक्ति और सेवाकाल के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दिया जावे विज्ञान और गणित के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जावे
- स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की मोनिटरिंग की जावें और उनके शिक्षण कार्य की गुणात्मकता
 का भी समय—समय पर मूल्यांकन किया जावे
- विशेष आवश्यकता को छोड़कर शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा गैर शिक्षण कार्यो से मुक्त रखा जावे।
- प्रधानाध्यापक और उससे ऊपर के पदों पर सीधी भर्ती की अनुमित दी जावे।
- प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावे
- चालू योजना में आधारभूत संरचनाओं की किमयों को दूर करने का सघन अभियान चलाया जाये
- अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग बाहुल क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विशेष प्रयास किये जावे
- विकलांग छात्रों के लिए विशेष स्कूल का प्रावधान किया जावे
- छात्राओं के लिए हॉस्टल खोले जावे विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में
- सैकण्डरी उपरान्त स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए, ऐसी रूचि रखने वालों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दिया जाये
- रोजगार एवं कौशल की मांग के परिपेक्ष्य में वर्तमान तृतीय शिक्षा की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जावे
- समुदाय आधारित सार्वजनिक, निजी जन सहभागिता जुटाने हेतु सभी गतिविधियों एवं सभी स्तरो पर प्रयास किये जावे।
- शैक्षणिक संस्थाओं के मॉनिटरिंग अथोरिटी बनाई जावे।

7

सभी के लिए स्वास्थ्य

जनंसख्या के विशेष रूप से प्रभावित एवं अतिसंवेदनशील वर्ग जिनमें गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन (बीपीएल) कर रहे लोग, गर्भवती महिलाएं, शिशु आदि शामिल है, को पर्याप्त एवं संतोजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राष्ट्र में नहीं विशेष रूप से राजस्थान राज्य में अधिक चिन्ता का विषय है। शिशु मातृ मृत्यु दर जो कि देश की औसत दर से पीछे है, इसका मुख्य संकेत है (संयुक्त राष्ट्र के (एम डी जी) मिलेनियम डवलपमेंट गोल)। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य—व्यय 808 रूपए प्रतिवर्ष है। यह राष्ट्रीय औसत दर से 60 प्रतिशत से भी नीचे है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक और पुर्नस्थापनात्मक उपायों को मजबूत बनाने के प्रस्ताव किये हैं। और सुझाया है कि सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) का 2 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने

का लक्ष्य अर्जित किया जावे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना अभी शेष है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती मूल्याकंन के दौरान स्वास्थ्य—सेवाओं में कितपय असंतुलनों का उल्लेख है। इनमें नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के खोलने उन्हें सशक्तिकरण करने पर खर्च करने का लक्ष्य कम पूरा हुआ। जबिक भवनों और कर्मचारियों के आवास निर्माण पर लक्ष्य से अधिक खर्च हुआ। प्रदेश में व्यावसायिक दक्ष कर्मचारियों की भारी कमी है। कुछ श्रेणियों में तो यह कमी 50 प्रतिशत तक पाई गई।

तथ्य तालिका : स्वास्थ्य सेवा प्रदाय प्रणाली के नि	नेर्धारक
सुविधाऐं 2010—11 में	
मेडिकल कॉलेज	10
जिला अस्पतालें	34
उपजिला अस्पतालें	12
उपनगरिये (सेटेलाइट अस्पतालें)	5
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(सीएचसी)	384
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)	1525
<u> </u>	11487
कार्मिक	
विशेषज्ञ	
स्वीकृत	2798
रिक्त स्थान	1319
अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी	
स्वीकृत	877
रिक्त स्थान	251
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	
स्वीकृत	4543
रिक्त स्थान	740

12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र

कार्मिकों की कमी मुख्य रूप से उनके अनुपयुक्त पदस्थापन, मॉनिटरिंग प्रणाली का अभाव तथा दोष पूर्ण कार्य क्षमता का मूल्यांकन के कारण और अधिक बढ़ जाती है। उपकरणों की कमी, उनकी समुचित देखभाल व वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के रख—रखाव के अभाव के कारण भी परिणामों पर बुरा असर पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों असंतोषजनक स्थिति तथा द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य—केन्दों के भार में वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक असंतुलन पैदा हुआ है। इस वजह से मरीजों को गैर मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं से भारी खर्च वहन कर सुविधाएं प्राप्त करनी पड़ती है। पिछड़ा और संवेदनशील वर्ग, जो कम जागरूक हैं वे अपनी बीमार हालत में भारी खर्चे के बाद भी समुचित स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते।

इस स्थिति में संकट का मुकाबला करने के लिए इन उद्देश्यों पर ध्यान देने की जरूरत है।

स्वास्थ सेवओं के विकास के उद्देश्य

- 12 वीं पंचवर्षीय, योजना में मिलेनियम डवलपमेंट गोल(एमडीजी) के लक्ष्यों को प्राप्त किया जावे।
- स्वच्छता पर बल देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिरोधात्मक एवं उपचारात्मक मुद्दों पर भी ध्यान
 दिया जावे।
- समुचित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्यो एवं दायित्वों के निर्धारण के साथ विभिन्न स्तरों पर
 प्राथमिक,माध्यमिक एवं तृतीयक सुविधाओं का सावधानी से स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य के सभी मुददों की देखभाल को प्राथमिकता देकर उनका विस्तार किया जावे।
- पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा सुलभ कराई जावे।

12वीं योजना के कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर गौर किया जाना आवश्यक है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रमुख मुद्दे

- सभी श्रेणियों के पर्याप्त कार्मिकों की व्यवस्था
- सार्वजनिक वितीय संसाधनों के प्रावधान में बढोतरी
- निजी एवं नागरिक सोसायटी परियोजनाओं में मानव एवं वितीय संसाधनों का विस्तार
- रोगों की रोकथाम, उनके उपचार एवं स्वच्छता पर विशेष बल दिया जावे।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अनुसंधान एवं तृतीयक देखभाल
- स्वास्थ्य सेवाओं में परम्परागत प्रयासों के अन्तर्गत पूरक रूप में औषधियों के वैकल्पिक उपयोग एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग पर जोर दिया जावे।

इस दृष्टिकोण से तो स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही पूर्व में राज्य आयोजना बोर्ड द्वारा दी गई सिफारिशों पर भी कदम उठाये जावे।

रणनीतिक – हस्तक्षेप

- पृथक स्वास्थ्य सेवाओं का गठन
- सभी स्तर के रिक्त स्थानों की प्राथमिकता के आधार पर भर्ती की जावे
- नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की संख्या में बढोतरी और उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जावे
- स्वास्थ्य सेवाओं और व्यावसायिक शिक्षा की गुणवता बनाये रखने के लिए एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी का गठन किया
- निजी चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाया जावे जहां कहीं भी संभव हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों न हो।
- समूचे राज्य में सार्वजनिक निजी जनसहभागिता के आधार पर निजी एवं निगमित क्षेत्र में सुविधाओं की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए
- प्रतिरोधात्मक देखभाल और स्वच्छता के लिए वितीय संसाधन बढायें जावे ताकि रोग निवारक व्यवस्था खर्च कम हो। स्वच्छता और रोगों की रोकथाम के लिए जनता को शिक्षित करने के लिए मातृ एवं शिशु के लिए चलाये गये अभियानों की तरह अभियान चलाया जाए।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जाये ताकि आई.एम.आर. व एम.एम.आर. में सुधार हो सके।
- सभी के लिए निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यवाही की प्रभावी क्रियान्विति की जावे
- रोगों के प्रसार रोकने के लिए अनुसंधान के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाए।
- जहां—जहां भी आवश्यकता हो, वहां वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग हो और उसे क्लिनिक सहायता से संपन्न किया जाए

विस्फोटक शहरीकरण

अनियोजित विकास से मुकाबला

शहरों का तीव्र व अनियोजित विकास व ग्रामों से शहरों की ओर जनंसख्या का पलायन से कस्बों का भारी संख्या में विस्तार हाल ही के भारतीय इतिहास की विशेषता है। शहरों में निरंतर बढ़ती जा रही इस आबादी को नगरीय

निकायों के पास अपेक्षाकृत कम वित्तीय संसाधनों की वजह से नागरिक सुविधाएं सुलभ कराने की समस्या का दबाव बढ़ रहा है। गांवों से पलायन करके शहरों में रह रहे अधिकांश लोग नितांत गरीब है और शहरों में अनियमित झोपड़ पटि्टयों और कच्ची बस्तियों में बस गए है। इससे गंदगी की भी समस्या बढ़ी है।

राजस्थान भी इसमें अपवाद नहीं है। हालांकि राज्य की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा 25 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय स्तर 31 प्रतिशत से नीचे है। लेकिन राज्य में शहरी आबादी 3.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है।

भीड़भाड़, शहरों के सिकुड़न और अव्यवस्थित यातायात की वजह से वायु प्रदूषण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। शहरों में खुली जगहें निरंतर कम हो रही हैं। अतिसीमित जल आपूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्थाएं सीमित हो रही हैं। सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य—सुविधाएं जैसी समस्याओं का दबाव भी बढ़ रहा है। इनमें से कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी से स्वास्थ्य से संबंधित विकट समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आवासीय सुविधाओं के अभाव की वजह से कच्ची बस्तियों की समस्याएं गंभीर तरीके से उभर रही है।

तथ्य तालिका : शहरीकरण पूर्व में और अब शहरी आबादी का कुल प्रतिशत 1961 16 1971 18 1981 21 1991 23 2001 23 2011 25

श्रेणी –1 (आबादी 100,000 और ऊपर) संख्या— 20 प्रतिशत कुल आबादी का 13 श्रेणी -2 (आबादी 50,000-99,999) संख्या– 26 प्रतिशत कुल आबादी का 03 श्रेणी -3 (आबादी 20,000-49,999) 90 संख्या– प्रतिशत कुल आबादी का 05 सभी श्रेणियां संख्या– 222 प्रतिशत कुल आबादी का 23 नगर निकायों की संख्या 183

स्थानीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों का गंभीर रूप से अभाव इन सभी समस्याओं के समाधान में प्रमुख बाधा है। नगरीय निकायों के पास करों से अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने का विवेकाधिकार सीमित है। उन्हें विवशतावश सरकारी अनुदानों और केन्द्र व राज्य की योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन अनुदानों और सहायता में लचीलापन सीमित है। इससे वित्तीय समस्याओं का समुचित समाधान भी नहीं हो पाता।

नगरीय विकास के उद्देश्य

- सभी आवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं एवं गुणवत्ता युक्त नागरिक सुविधाओं की सुलभता का
 प्रावधान
- यातायात और परिवहन की निर्बाध आवाजाही के लिए आधारभूत संरचना
- पर्यावरण संरक्षण
- कच्ची बस्तियों का विकास
- बडे शहरों के लिए विकल्पों का प्रावधान
- विरासती भवनों और सुविधाओं का संरक्षण

इस यथार्थ परक वस्तु स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना मे शहरी विकास कुछ मूलभूत उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होगा—

नगरीय विकास के ध्यान देने योग्य मुद्दे

- यदि संभव हो तो वर्तमान शहरों के आगे का नियोजित विकास
- नगरीय निकायों के वित्तीय संसाधनों का औचित्यपूर्ण प्रबंधन
- यातायत की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए सड़कों को मजबूत बनाकर विस्तृत करने एवं सार्वजनिक परिवहन का जाल बिछाना
- पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए स्वच्छता और अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था को विकसित करने के लिए संसाधन जुटाना
- कच्ची बस्तियों के उन्मूलन के लिए चरणबद्ध योजना के तहत सेवाओं सुविधाओं का प्रावधान
- बड़े शहरों के प्रतिरूप स्वरूप आकर्षित करने वाले छोटे और मध्यम दर्जे का एकीकृत विकास इन।
 प्राथमिकताओं के अनुरूप काम रणनीति नीति एवं उपाय

रणनीतिक हस्तक्षेप

- जिन शहरों और नगरों के "मास्टर प्लान" तैयार नहीं है, अथवा संशोधित नहीं किये गये है, उनके
 मास्टर प्लान तैयार करना।
- शहरों और उसके आसपास के इलाकों में बसावट व निवास की गुणता का अंतर कम करने की निर्धारित विशेष योजनाएं।
- नगरीय निकायों को अपने स्थानीय संसाधनों के विस्तार एवं औचित्यपूर्ण करने के लिए उनके
 स्विववेकाधिकार का उपयोग कर करारोपण करने की सलाह एवं उनकी सहायता ।
- सार्वजनिक यातायात, त्विरत गित से आधारभूत ढांचे के निर्माण, अपशिष्ट निस्तारण और उसके
 रिसाईक्लिंग जैसे उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सार्वजिनक और निजी जनसहभागिता
 लेना
- राज्य व केन्द्र सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एवं निगमित एजेंसियों द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराए जाने वाले अनुदानों, संसाधनों के बारे में जागरूक बना कर सहायता सुलभ कराने में सहयोग
- शहरी विकास के लिए एक स्वतंत्र नियामक इकाई की स्थापना
- नगरीय निकायों में उपलब्ध मानव संसाधनों का कौशल विकसित कर गुणवत्ता बढ़ाना तािक वे योजनाओं का क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और मॉनिटरिंग प्रभावी तरीक से कर सकें।

9

समाजिक सुरक्षा और न्याय

समग्र विकास को गति देना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की विशेष संरक्षण किया जावेगा। तथा विशेष कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के संदर्भ में उन्हें सामाजिक न्याय सुलभ कराने हेतु सभी प्रकार से शोषणों से मुक्त कराने की कार्यवाही करेगा। इस तथ्य को विशेषकर दृष्टिगत रखते हुए कि यथार्थ रूप से विकास के परिणाम जनंसख्या के हर वर्ग के अन्तर्गत समान रूप से उपलब्ध एवं वितरित नहीं हो पाते।

राज्य में अनुसूचित जातियां, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को मिलाकर प्रदेश की आबादी का हिस्सा 40 प्रतिशत है

और इस जनसंख्या में घुमन्तू एवं खानाबदोशों की जनसंख्या जुड़ने से और वृद्धि होगी। वृद्ध, निराश्रित और अपंग लोग भी सीमांत वर्ग में ही आते हैं. लेकिन वे सामान्यतः विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाते। अधिकांश अनुसूचित जाति और आदिवासी परिवारों के पास भूमि की छोटी-छोटी जोतें हैं या भूमिहीन हैं। रोजगार के साधन एवं स्विधाएं भी कम हैं। यह उनके निम्न शैक्षणिक स्तर से प्रतिबिम्बित होता हैं। इससें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों सीमांत वर्ग का अनुपात बीपीएल परिवारों की संख्या में आनुपातिक रूप से बढ़ जाता है। इस समूह में महिलाओं में साक्षरता की दर अधिक निम्न होने के कारण सीमान्त वर्ग में और अधिक वृद्धि होती है।

तालिका : कमजोर एवं प्रताड़ित व	र्ग का स	तर
संयोजक (कंपोजीशन) 2001		आबादी हिस्सा
अनुसूचित जातियां		17.2
अनुसूचित जन जातियां		12.6
अल्प संख्यक		10.1
वृद्ध		6.0
निराश्रित		2.5
अपंग		2.5
बालक जो जोखिम में		4.6
(18 साल तक के स्कूल		
नहीं जाने वाले श्रमिक)		
बीपीएल के घटक (कंपोजीशन)		आबादी हिस्सा %
अनुसूचित जाति		25.2
अनुसूचित जन जाति		31.0
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)		34.3
समूहों में साक्षरता प्रतिशत	पुरूष	महिला
	69.0	33.9
	62.1	26.2
कुल मिलाकर आबादी	75.7	43.9
	संयोजक (कंपोजीशन) 2001 अनुसूचित जातियां अनुसूचित जन जातियां अल्प संख्यक वृद्ध निराश्रित अपंग बालक जो जोखिम में (18 साल तक के स्कूल नहीं जाने वाले श्रमिक) बीपीएल के घटक (कंपोजीशन) अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जातियां अनुसूचित जन जातियां अल्प संख्यक वृद्ध निराश्रित अपंग बालक जो जोखिम में (18 साल तक के स्कूल नहीं जाने वाले श्रमिक) बीपीएल के घटक (कंपोजीशन) अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूहों में साक्षरता प्रतिशत अनुसूचित जन जाति अनुसूचित जन जाति अनुसूचित जन जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति 69.0

12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र

ये समूह अनेक समस्याओं का सामना कर रहे है, जिनमें आजीविका और भरण पोषण की आश्विस्त, खाद्य एवं पौषाहार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, सामर्थ्य सुलभ आवास आदि प्रमुख है। क्षेत्र की सामान्य आबादी के समक्ष भी ये समस्याएं हैं, लेकिन सिदयों से पिछड़े इन वर्गों के पास इन सुविधाओं का नितांत अभाव है। राज्य ने अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से इन वर्गों की जरूरतों को पूरा करने की कई योजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए गये हैं। लेकिन विभागों की कई एजेंसियों के माध्यम से कार्य संपादित किये जाने के कारण उनके प्रभावी क्रियान्वयन में विलंब होता है (उदाहरणार्थ कृषि, आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य विभाग आदि) विलंब की वजह हैं। इन विभागों द्वारा एक के ऊपर एक आच्छादित योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करना और जिला स्तर पर एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग पर उसे लागू करने की जिम्मेदारी डालना प्रमुख है।

इसलिए इन उद्देश्यों के प्रभावी तरीके से अर्जित करने पर बल दिया जावे-

सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता के उद्देश्य

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सीमांत वर्ग का नियत समय में आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो।
- प्रौढ़, उपेक्षित महिलाओं, बच्चों, निराश्रितों, अपाहिजों और असहायों की सामाजिक सुरक्षा।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए विशिष्ट कार्यक्रमों का प्रभावी व सघन तरीके से क्रियान्वयन किया जावे।
- विशेष समूह की विशेष समस्या के निदान के लिए समन्वित एवं एकीकृत रूख अपनाएं।

इन कतिपय मुद्दों द्वारा मुख्य गतिविधियों की पहचान की जा सकेगी-

सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता हेतु ध्यान देने योग्य मुद्दे

- आदिवासी क्षेत्र विकास
- शिक्षा और साक्षरता विशेषकर महिलाओं के लिए
- अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृहद स्तर पर लाभान्वितों को संम्मिलित किया जावे।
- रोजगार में वृद्धि हेतु कौशल विकास को बढ़ावा दिया जावे।
- विधिक प्रावधानों, अन्य अधिकारों से भिज्ञ और हकदार बनाने के लिए दस्तावेजीकरण
- विधि प्रावधानों अन्य अधिकारों से भिज्ञ और हकदार बनाने के लिए दस्तावेजीकरण

विशिष्ट नीति एवं रणनीतिक उपाय इन मुद्दों को क्रियाशील बनायेंगे।

रणनीतिक उपाय

- प्रक्रियाओं की उचित परिभाषा एवं प्रमाणीकरण ताकि हटाने एवं शामिल करने की समस्याएं कम हों।
- कम कृषि उपज वाले आदिवासी क्षेत्रों जिनका उल्लेख कृषि सेक्सन में किया है, में आदानों और प्रसार के कार्यक्रमों में जरूरतों के आवश्यकतानुसार संशोधन।
- आदिवासी महिलाओं और लड़िकयों के लिए स्कूलों और छात्रावास—छात्रवृत्तियां।
- छात्रवृत्तियां एवं अन्य दी गई सुविधाएं और लाभ समय पर वितिरत हों। इनमें आदिवासी क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकें तकनीकी नवाचार के पाठ्यक्रम की
- आदिवासी क्षेत्रों में विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं
- लाभान्वितों को प्रमाणित कर एकीकृत रूख, संबंद्ध सूचना की समय पर पूर्ति और उसकी प्रगित की मानिटरिंग तािक विलंब कम हो। कार्ड्स, यूआईडी कार्ड्स, पिछड़े वर्ग को तुरंत मिले। इस हेतु जिला स्तर पर समरूपी अवधारणा।
- अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता की प्राप्ति के लिए जिले के स्थान पर खण्ड या शहर को इकाई बनाने के लिए योजना आयोग को प्रस्ताव विचारार्थ भेजना,
- वृद्ध, निराश्रित एवं खानाबदोशों से संबंधित योजनाओं पर विशेष जोर दिया जावे।
- घुमन्तु जातियों, निर्दिष्ट अधिसूचित आदिवासियों के लिए बोर्ड का गठन
- विकलांग (डिफरेंटली– एबल्ड) लोगों के लिए बजट में प्रावधान बढ़ाना ।
- विकलांग विशेषकर विकलांग महिलाओं की देखभाल के लिए योग्य एवं कुशल कार्मिक का प्रावधान।
- मिड—डे—मील की भांति परिणामदायी व टिकाऊ सहभागिता मॉडल विकसित करने के लिए निजी एवं नागरिक सोसायटियों, संगठनों (सिविल सोसायटी आर्गेनाईजेशन) विशिष्ट पिछड़े व सीमांत समूहों की गतिविधियों में सहयोग एवं समन्वय किया जावे।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

सहभागी योजना की ओर

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत सिम्मिलित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को समुचित स्तर पर योजना निर्माण का अधिकार दिया गया है। अन्य राज्यों की तरह राजस्थान ने भी पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला योजना सिमितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। अब इन संस्थाओं को पांच विभागों के कार्यकलापों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार भी हस्तातिरत

किये गये हैं। तथा यह भी आश्वासन दिया है कि बाकी विभागों के कार्य व दायित्व भी हस्तातिरत जाएंगे। चूंकि स्थानीय निकाय वित्तीय कोष के अभाव में आर्थिक दृष्टि के कमजोर हैं, इसलिए सरकार ने विभिन्न चरणों में कोष विकसित करना भी शुरू किया है। अन्य सहयोगी उपयों पर कदम उठाने पर भी गौर किया जा रहा है।

ये विकासोन्मुखी कदम हाल ही में उठाए गए हैं, इनके दूरगामी बड़े परिणाम आने अभी बाकी हैं। इस स्तर पर कतिपय संभावित अड़चनों की पहचान की जा सकती हैं।

सबसे पहली और प्रमुख समस्या, स्थानीय स्तर पर कार्मिक और कौशल के अभाव की है। शहरों और गांवों के बीच जीवन यापन की अवस्था में अंतर समाप्त करने, पेशेवर सक्षम योग्य कार्मिक की तलाश सबसे कठिन है। इनका चयन एवं नियुक्ति ही इस स्थानीय असंतुलन को दूर करने पर प्रभाव डालेगा।

तथ्य तालिका : राजस्थान में हस्तान्तरण

कार्यों का हस्तान्तरण-

- पांच कार्य (प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला एवं बालविकास और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण) अक्टूबर 2010 के बाद पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए। इसके साथ उन्हें कर्मचारी व कोष भी दिया गया।
- संविधान के 111 अनुसूची में उल्लेखित अन्य कार्यों के हस्तान्तरण के प्रति प्रतिबद्ध। इसका उल्लेख पंचायती राज संस्था अधिनियम में भी उल्लेख है (11 विभागों के कुल 29 कार्य) का हस्तान्तरण 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में होगा।

कोष का हस्तान्तरण

- पंचायती राज संस्थाओं को राज्य करों में से 263 करोड़ रूपये मिलेंगे।
- एकीकृत कोष (अनटाइड फंड) के रूप में राज्य योजना से 10 प्रतिशत दिया जाएगा।

अन्य उपाय-

- हस्तान्तरण गतिविधियों की देखरेख, जिला कलेक्टर, कमेटी के मुखिया के नाते करेंगे।
- सभी 9,177 ग्राम पंचायतों में विकास अधिकारियों और कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजीनियर) होंगे।

दूसरा हस्तान्तरित कार्य और कोष के स्थानीय स्तर पर प्रभावी तरीके से उपयोग के लिए कार्य एवं दायित्वों के वहन की ब्यौरेवार विशिष्ट एवं स्पष्ट जानकारी देना भी जरूरी है। जिला आवश्यक रूप से राज्य का सूक्ष्मरूप नहीं है और न ही सभी पंचायतीराज संस्थाओं के कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के प्रतिरूप है और न ही प्रकियाएं व योजना बनाने के तरीकों में समरूपता है।

तीसरा—नए हस्तान्तरित दायित्वों को जिला स्तर और नीचे तक संभालने, उसका लेखाजोखा रखने एवं मॉनिटरिंग करने की प्रणाली पर्याप्त और सक्षम नहीं है।

चौथा— स्थानीय स्तर पर निर्णय कहीं विकृत होकर मांग पत्र (चार्टर ऑफ डिमांड) में न बदल जाए इससे जुड़ी बुराइयों को संरक्षण दे सकता है।

और अंत में एक छिपा हुआ संभावित खतरा यह भी है कि निर्देशों और औपचारिक प्रबंधों के बाद भी स्थानीय स्तर पर कोष और कर्मचारियों के प्रभावी हस्तान्तरण में अनिच्छा का होना। यह राज्य स्तर पर शक्तियां बनाए रखने के लिए स्वीकृतियों को जटिल बनाना और जरूरतों पर पुनर्विचार करने के रूप में हो सकता है। विकेन्द्रीकरण के उद्देश्यों के अन्तर्गत इन तथ्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है:—

विकेन्द्रीकृत योजना के उद्देश्य

- कर्मचारियों के साथ-साथ कोष और कर्त्तव्यों, कार्यों, अधिकारों बाध्यताओं और दायित्वों का हर स्तर
 पर सुस्पष्ट उल्लेख हो।
- निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण, सरकार, कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की असावधानियों
 की यथोचित स्तर पर मॉनिटरिंग
- स्थानीय परिवर्तनों पर न्याय की लचीली प्रणाली

इन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ क्षेत्रो पर विशेष जोर देना होगा-

लोकतांत्रिक योजना हेतु ध्यान योग्य प्रमुख मुद्दे

- स्थानीय इलाकों के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया एवं प्रणालियां
- पेशेवर, योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारी
- अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धि
- आगे और अधिक हस्तान्तरण
- बजट बनाने, मॉनिटरिंग और सूचना देने की व्यवस्था

इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए वांछित नीति और रणनीतिक उपाय अपनाया जाना आवश्यक है:

रणनीतिक हस्तक्षेप

- जिला स्तर पर योजना बनाने के निर्देशों को स्पष्ट रूप से जारी किया जावे, कार्य-कलापों की मॉनिटरिंग, जिला योजना बनाने के शुरूआती बिन्दुओं पर योजना आयोग के निर्देशों का पालन किया जावे।
- जिला स्तर पर उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु वांछित कौशल का आकलन व सही पहचान की जावे।
- अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व जुड़े लोगों के विशेष प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाकर उसे क्रियान्वित करना। इसके लिए अन्य देशों व राज्यों के अनुभवों का लाभ उठाया जावे।
- स्थानीय स्तर पर जरूरतों का वास्तविक मूल्यांकन, इसके साथ संसाधनों की जरूरतों और स्थानीय
 क्षमता एवं भावी उपलब्धता का भी मूल्यांकन किया जावे।
- परिस्थितियों के अनुसार आगे और कार्यों के हस्तान्तरण का एक निश्चित कार्यक्रम वित्तीय सीमाओं के अन्दर तैयार करना, व जो लागू भी हो सके।
- एक प्रभावशाली मॉनिटरिंग की स्थापना व दोहरी लेखा प्रणाली को जिला स्तर पर लागू कर इसे चरणबद्व तरीके से पंचायती सीमित व ग्राम पंचायतों में लागू करना।
- कार्यों की गतिशील क्रियान्विति में मदद करने के लिए निपुण विशेषज्ञ व वांछित अनुभव रखने वाले सलाहकारों को नियुक्त करना।

11

लक्षित सेवा प्रदाय प्रणाली

अंतिम मील की उन्नति प्रभावशाली बनाना

विकास कार्यक्रमों के वांछितों को पूर्ण लाभ प्राप्त होने के मार्ग में आने वाली बाधायें सभी कार्यक्रमों के लिए एक अभिशाप है। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वृद्धावस्था पेंशन और विशिष्ट कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली अनुदान से संबंधित बाधाएं शामिल हैं। इन बाधाओं से वंचित लोग केवल लाभान्वित होने से ही वंचित नहीं होते बल्कि कुल मिलाकर कार्यक्रमों का महत्व एवं असर भी कम हो जाता है।

राज्य प्रशासन, स्थानीय स्तर पर स्वायतशासी निकाय, नागरिक संस्थाओं, निजी—निकाय जो पूरक साधनों के दोहन एवं उनके उपयोगों के लिए संभावना तलाशने की अवधारणा के साथ अब उभर रहे है। इस परिस्थिति के कारण कई बाह्य एवं आंतरिंक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। परिणास्वरूप सेवा प्रदाय प्रणाली के परियोजना

तथ्य तालिका : सेवा प्रदाय प्रणाली को प्रभावित करने वाले तथ्य

आंतरिक परियोजना प्रबंधन

- अपारदर्शी परियोजना रचना प्रक्रिया
- परियोजना रचना और क्रियान्वयन के बीच लंबी संगठनात्मक दूरी
- परियोजना के प्रावधानों और हकदारिता के सम्बन्ध में उचित संवाद का अभाव
- जटिल एवं अधिक समय लेने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएं
- परियोजना को क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों के बीच परस्पर सूचना का आदान
 प्रदान व समन्वय का अभाव
- परियोजना की घोषणा और उसके लिए वास्तविक कोष सुलभ कराने के बीच लंबा अंतराल
- सेवा प्रदाय स्तर पर विभिन्न प्रकार के विवेकाधिकार

बाह्य परियोजना प्रबंधन

- लाभान्वित होने वाले लिक्षित समूह के लिये वस्तुओं एवं सेवाओं के दोहरे मूल्य और जिस समूह के लिए सेवा सुलभ कराई है।
- वितरण के सम्बन्ध में एकल प्रणाली का एकाधिकार
- लाभान्वितों में जागरुकता की कमी

अन्य कारक

- परियोजना की मॉनिटरिंग, प्रबंधन में लापरवाही और इसे करने में होने वाला अति विलंब
- निगरानी रखने वाली ऐजेन्सियों की कमी, परिणामस्वरूप विलम्ब एवं सही जानकारी न होना एवं लम्बे अन्तराल के बाद भी अपर्याप्त प्रतिक्रिया

प्रबंधन की क्षमता संतोंषजनक स्तर से कम हो रही है।

12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र

जानकारी का अभाव, अपारदर्शी प्रक्रिया और विलम्बित योजना लाभान्वितों में असहाय भाव एवं उसे छोड़ने की प्रवृति पैदा करते है। इसका कुल मिलाकर समूची योजना के प्रभाव पर विपरीत असर पड़ता है। इससे एक दुष्चक्र भी बनता है।

इसी संदर्भ में राज्य ने जनअभियोग निराकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी) आधारित 'सुगम' प्रणाली लागू कर रखी है।

हाल ही में राजस्थान ने गांरटीड डिलीवरी और पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज एक्ट, 2011 लागू किया हैं। अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं को भी अधिसूचित किया है। इन सेवाओं का लाभ एक अनुबंधित समय सीमा में लाभान्वितों को मिले, इसके लिए एक अधिकारी भी पदासीन किया है। यदि समय सीमा में सेवा—प्रदाय नहीं की गइ तो उसे दंडित करने एवं जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा—प्रदायनी व्यवस्था को प्रभावशाली तरीके से लागू करना एक अनिवार्य शर्त है। वांछित व्यवस्था विशिष्ट उद्देश्यों से निर्देशित होगी।

प्रभावशाली सेवा प्रदाय प्रणाली के उद्देश्य

- वांछित लाभान्वितों को अनुबंधित लाभों की सेवा—समय पर प्रदाय हो
- लाभों में न्यूनतम छीजत और हानि हो
- योजना एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता
- सुधारात्मक सेवा—प्रदाय प्रणाली की अत्यावश्यकता को न्याय संगत बनाने से संबंधित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए भागीदारयुक्त लचीली प्रक्रियाएं

इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए कुछ क्षेत्रों पर विशेष बल देना होगा

प्रभावी सेवाप्रदाय प्रणाली के प्रमुख मुद्दे

- परियोजना बनाने मे स्पष्टता, लाभान्वितों का चिन्हीकरण और सेवा—प्रदाय माध्यमों और श्रृंखलाओं का प्रमाणीकरण
- सेवा प्रदायी लाभों के लिए अतिरिक्त माध्यम
- सेवा प्रदाय प्रणाली को विकसित करने के लिए वैकल्पिक संगठनों के मंचो की खोज
- जनचेतना एवं पारदर्शिता बढाने के लिए लक्ष्य समूहों के साथ संवाद एवं संचार भी विकसित हो
- सूचना प्रोद्योगिकी और आधुनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग
- राजस्थान गांरटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट की अनुपालना

रणनीतिक हस्तक्षेप

- योजना बनाने और उसे लागू करने के सभी स्तरों पर न्यायिक समानता, और पारदर्शिता और इसमें
 यथासंभव लाभान्वित होने वालों की भागीदारी विशेषकर जलप्रबंधन में।
- दी जाने वाली सेवाओं का स्पष्ट निरूपण और जिन्हें लाभ होने वाला हो, उन्हें प्रभावी तरीके से सूचना, इनमें उपयोग में आने वाले तंत्र की जानकारी जिनमें यूनिक आईडेंटिटी(UID) योजना को संचालित करने वाले उसके उद्देश्यों के प्रति लाभ प्राप्त करने वालों में यथोचित चेतना जागृत करें।
- अपव्यय और छीजत रोकने के लिए सेवा-प्रदाय श्रृंखला में विलम्ब कम हो
- जहां तक संभव हो सेवा सुविधाओं को सुलभ कराने वाले मार्ग बहुप्रयोजनीय होने का प्रावधान हो,
 विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के।
- ऐसी आदर्श योजनाएं बनाई जाएं जिनकी क्रियान्विति और देखभाल अन्य योजनाओं के चलाने में भी सीख मिले
- योजना से उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों एवं उससे बदलते प्रलक्ष बोध को देखते हुए प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का किफायती उपयोग
- आधुनिक तकनीक का उपयोग, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की सुविधाएं लाभान्वितों को सुलभ हो,
 इसका माध्यम यूआईडी प्रोजेक्ट बनें, इनमें वृद्धावस्था पेंशन और अलग—अलग योजनाओं में उपलब्ध होने वाले अनुदानों की सुविधाएं इन्हीं माध्यमों से
- सेवा प्रदाय प्रणाली का लाभ दिलवाने में नागरिक संगठनों (सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन्स) को भी सहभागी बनाया जाए, वे संवेदनशील, प्रभावकारी एवं जवाब देय हो।
- विवेकाधिकार पर नियत्रंण हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, यदि नहीं तो उन्हें समाप्त किया जाए
- व्यक्तिशः और संगठनात्मक स्तर पर सेवा-प्रदाय प्रणाली के कार्यकिलापों की मॉनिटरिंग
- राजस्थान गांरटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट प्रभावीशाली तरीके से लागू हो।

निर्णायक टिप्पणी

प्रभावी, व्यावहारिक योजना निर्माण की दिशा में

यह दस्तावेज राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को इंगित करता हैं। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती आकलन का परिणाम हैं। यह उभरती हुई जरूरतों का लेखा—जोखा स्थापित करने का प्रयास हैं। यह बढती हुई जरूरतों की पीठ व लेखा जोखा है।

इससे स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण—पत्र कोई योजना नहीं है। यह विस्तृत योजना बनाने का प्रांरिभक बिंदु है। इसमें संबंधित विभागों या अन्य संबंधित के सहयोग से अपने—अपने विभागों से जुड़ी विस्तृत योजना और कार्यक्रमों को तैयार करने का पूर्वाभ्यास है। इसमें विशिष्ट कार्यक्रमों और योजनाओं से जुड़े विषयों को कितना और किस प्रकार प्राथमिकता व बल दिया जाए, उनमें किस प्रकार का रणनीतिक हस्तक्षेप किया जाए, इसका दिशा—बोध है। इसमें परियोजनाओं के उद्देश्यों, उसके लाभों, लाभान्वितों, आवश्यक संसाधनों का ब्यौरा व उन्हें कसौटी पर कसने का निरूपण है। इसका अगला चरण योजना के चरण—बद्ध क्रियान्वयन, सेवा—प्रदाय, यथोचित मॉनिटरिंग प्रणाली के मुख्य तत्वों पर योजना बनाते समय गौर करने का प्रयास होगा।

राज्य आयोजना बोर्ड पूर्णतया आश्वस्त है कि राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो इस दृष्टिकोण पत्र को ध्यान में रखते हुए बनायी जावेगी, वह निश्चित रूप से त्वरित, टिकाऊ और समग्र विकास में सहायक होगी।

Approach Paper for Twelfth Five-year Plan of Rajasthan 2012-17

Contents

Rajasthan on Threshold of Twelfth Plan	37
Water, the Life-source	41
Towards Dynamic Agriculture	44
Industrial Transformation	47
Mineral Wealth	50
Education, Basic Building Block	53
Health for All	57
Urban Explosion	60
Social Security and Justice	63
Democratic Decentralisation	66
Targetted Delivery Systems	69
Concluding Remarks	72
	Water, the Life-source Towards Dynamic Agriculture Industrial Transformation Mineral Wealth Education, Basic Building Block Health for All Urban Explosion Social Security and Justice Democratic Decentralisation Targetted Delivery Systems

RAJASTHAN ON THRESHOLD OF TWELFTH PLAN

Significant Progress, Challenges Remain

Rajasthan was formed in 1956 by merging a large number of princely states with adjoining areas. It is now the largest Indian state by area (3,42,000 sq km). Its history and geography have shaped its development to date. The feudal rule by and large was marked by an absence of any systematic approach to develop agriculture, attract industry or create infrastructure.

Two-thirds of the state comprises arid or semi-arid tracts with low and erratic rainfall and extremes of climatic conditions.

The state also has some advantages. The northern and the southern third of the state are well-watered and fertile. Animal husbandry provides both additional incomes and a cushion against vagaries of nature. It has reserves of oil (500 million t), natural gas (12 billion cu m of lean gas and 3 billion cu m of high quality gas) and key minerals such as lignite (5 billion t).

Fact file: Rajasthan over Years					
		Base	2010-11		
	Population (million)	20 (1961)	69		
	Sex ratio (females per '000 males)	908 (1961)	926		
Population	Literacy rate, % male female total	28 7 18 (1961)	81 53 67 (2011)		
	Life expectancy at birth, years	56 (1990-91)	62 (2005)		
	Infant mortality rate per '000 live births	108 (1980)	59 (2008-09)		
	State GDP, Rs crore (2004-05 prices)	32,486 (1980)	1,97,000 Advance		
Economy	State per capita income, Rs (2004-05 prices)	7,721 (1980)	25,615 Advance		
E	Contribution of agriculture to GDP, %		22		
	Proportion of land under irrigation	34 (1990-91)	43 (2008-09)		
Infrastructure	Road length, km	41,000 (1980)	1,89,000		
	Power generating capacity, mW	1,328 (1980)	8,869		

Its rich tradition of handicrafts continues to offer niche employment. Its people are known for their hardy and entrepreneurial ways, earning them deserved recognition and respect throughout the country.

The box on the previous shows some indicators of the substantial progress the state has made over time. While the overall economic growth, as reflected in the state gross domestic product has been satisfactory especially in recent years (at an average annual rate of around 5 per cent per annum from 1993 onwards), the rate fluctuates – it went down to 4 per cent in 2009-10 from the 7 per cent in the previous year and again back up to 10 per cent in the last year. A relatively high growth of population (22 per cent in the last decade) has made the growth in per capita income less impressive. Nevertheless, the incidence of poverty at 15 per cent in Rajasthan in 1999-2000 was less than that in the country (26 per cent).

The record in specific areas is mixed: Rajasthan has registered the fastest growth in general literacy, but the female literacy rate is even now below the national average. While the life expectancy has risen impressively, the infant and maternal mortality rates are unacceptably high.

The State addressed many of these issues through a substantially larger Eleventh Five Year Plan (2007-12). The likely final outlay of about Rs 97,000 crore for the Plan is nearly thrice that of the Tenth Plan (Rs 33,000 crore). Its principal aim was faster and more inclusive growth, and sustainable rural development. Substantial increases in investment in infrastructure and social and community services were proposed. The State Planning Board has recently conducted a mid-term review of the Eleventh Plan covering the first three years, which has highlighted its achievements as well as gaps in the performance in the key sectors.

This synoptic view of the current status has enabled the State Planning Board to identify the key challenges the state must meet in the Twelfth Plan.

Challenges for the Twelfth Plan

- Increasing imbalance between demand for water demand and its availability;
- Scanty, uncertain and fluctuating rainfall affecting agriculture in particular and economy in general;
- Deteriorating quality of land and water;
- Low value agriculture;
- Infrastructure deficit;
- Slow pace of industrialisation and lack of adequate employment opportunities;
- Sub-optimal utilisation of mineral resources;
- Educational backwardness- qualitative as well as quantitative;
- Inadequate health facilities preventive as well as curative;
- Unplanned urbanisation;
- Discrimination against women, girl child and marginalised sections, especially tribals and minorities;
- Enhancing participatory planning by empowering Panchayati Raj institutions;
- Weaknesses in delivery systems.

The principal objective of the Twelfth Plan is to meet these challenges even while approaching the growth in national GDP of 8 to 9 per cent per year. The State Planning Board has consulted experts in various areas for formulating strategies appropriate for the task. It has also held wide ranging consultations with important stakeholders by organising meetings with a large number of knowledgeable persons in all the seven divisional headquarters of the State.

This Approach Paper highlights strategic interventions needed to meet some of these challenges. The overriding concern in suggesting these interventions is for fast, sustainable and inclusive growth.

The Approach Paper is neither an exhaustive document nor a plan in the making. It covers selectively certain priority concerns. It is not possible to cover the totality of government functions and departments in a document of this nature.

The Paper discusses concerns in the order listed below:

- 1. Water;
- 2. Agriculture;
- 3. Industry;
- 4. Mining;
- 5. Education;
- 6. Health;
- 7. Urbanisation;
- 8. Social security and justice;
- 9. Decentralisation; and
- 10. Delivery systems.

This order is not indicative of the importance of the concern nor the priority accorded to it. The sequencing is indicative or linkages among the areas covered, for example, between water and agriculture. The subjects discussed also do not indicate the concerns presented there are applicable to any one single department. Many of these cut across various departments and functions of the government.

The purpose of preparing this Approach Paper is to provide some guidelines regarding strategic interventions needed in the activities covered. These should inform the preparation of detailed plans to be undertaken by concerned departments and agencies for inclusion in the State Twelfth Plan.

WATER, THE LIFE SOURCE

Paramount Need to Conserve and Use Optimally

India is likely to experience widespread water shortages in relation to its need in the next

decade, but the situation in Rajasthan is going to be particularly severe. In the first place, two-thirds of the state is arid or semi-arid terrain, with 85 out of the total 142 desert blocks being in the state. The situation is worsened by increasingly erratic and unpredictable rainfall during the monsoon, which is scanty to begin with.

The state is the worst-placed in the country with regard to water. Water needs of a population growing at a rate higher than the national average and a large cattle population, agriculture and industry have strained the hard-to-augment supply. The per capita availability dropped from 2,000 cu m, the satisfactory level as per international norms, in 1947 to 637 cu m at present, which is below the 1,000 cu m considered to be the minimum.

Fact	file: Worsening situation	
	Surface water (2008)	
	Availability, billion cu m Utilisation, billion cu m %	33.9 27.6 81.5
	Ground water (2008)	01.5
	Availability, billion cu m Utilisation, billion cu m %	10.6 14.6 138.0
	Total (2008)	100.0
	Availability, billion cu m	44.5
	Utilisation, billion cu m %	38.2 85.9
	State in relation to India, %	
	Land area	10.4
	Population (2011)	5.7
	Livestock	18.7
	Cultivable area Irrigated area	13.9 7.7
	Rainfall	47.2
	Ground water	1.7
	Surface water	1.2
	No of blocks	
	over exploitation of water (> 100%)	164
	critical (90 – 100%)	31
	semi-critical (70 – 90%) safe	10 31
	Total	237

The situation is helped to some extent as nearly half of the surface water is made available through inter-state transfers. The shortages have led to indiscriminate draw-downs of ground water, which has only grown worse over time. In the last decade alone, the number of over-exploited blocks nearly doubled, while the safe blocks shrank to a fourth of their number. There is little public awareness of this.

Agriculture accounted for 83 per cent of the water demand in 2005, while drinking needs of humans and animals used another 7.5 per cent. These proportions are likely to remain more or the less over the next 30 years, with the total water demand rising to 57 billion cu m.

The quality of water is also a problem. One-fifth of all villages and habitations in the state suffer from multiple quality problems. They account for three-fourths of such habitations in the country. This worsens the drinking water situation.

Clearly, the situation needs to be addressed on a war-footing in order to meet objectives fundamental to development.

Objectives for Water Use

- Equitable access to water as common resource;
- Ensuring availability of potable water to every family, recognising access to drinking water as basic human right;
- Conserving water available from all sources;
- Efficient and effective use of water for all purposes;
- Participative decision-making processes for water distribution and use among all stake-holder, leading to sense
 of ownership among them along with responsibilities that go with it;
- Arresting depletion of ground water as well as deterioration of water quality;
- Minimising cost of service.

These considerations lead to an identification of some key activities.

Thrust Areas for Water Conservation and Management

- Enhancing recharge of ground water particularly in "dark" zones of critical or over-exploitation;
- Rain water harvesting through appropriate structures;
- Effective management of irrigation projects to minimise evaporation and other losses;
- Economising use of water in predominant user of water, agriculture;
- Water pricing to reflect scarcity and priority of use.

Specific policy and strategic measures will enable activating these thrusts.

- Assigning highest priority to water related actions, especially to drinking water;
- Enabling legislation mandating recharge on part of water extractors and creating rain water harvesting structures at least in new constructions;
- Fixing priorities among various uses of water according to regional variations in availability and use patterns, considering availability from all sources in total;
- Expediting completion of projects under way incorporating measures to reduce evaporation losses and seepage in conveyance;
- Structures to prevent run-off wherever possible to enable local recharge;
- Rationalization of construction of anicuts in the catchments of major dams;
- Promoting cropping patterns to optimise water use, reducing emphasis on water-intensive crops, and discouraging practices such as flood irrigation. Promoting sprinkler and drip irrigation and other modern methods to economise use of water where possible;
- Rationalisation of water pricing so that at least operation and maintenance costs are recovered, except in case
 of provision of drinking water to poor families. Fixing differential prices according to priority of use to rationalise
 water use and to reduce supply-demand imbalance;
- Facilitating emergence of user organisations to manage water distribution and use, with active involvement of appropriate civil society organisations where available.



TOWARDS DYNAMIC AGRICULTURE

Coping with Uncertainty in Low-value Enterprise

Agriculture provides livelihood to two-thirds of the Rajasthan population, but contributes only 22 per cent to its GDP. Even this is fraught with uncertainty caused by weather vagaries, as the drought of 2009-10 clearly showed. Yields of various crops, already poor as compared to national averages, drop and production and value-addition in agriculture suffer. This is a

recurrent situation, with 40 out of the last 50 years having witnessed droughts.

Even as the state has a higher dependence on agriculture compared to the rest of the country, fortunes of its farming are lower in subject to significant value and fluctuations. Foodgrains dominate the cropping pattern, accounting for over two-thirds of the land cultivated. Oilseeds, mostly mustard and rape seed, and cotton are the main cash There is little by way of crops. diversity, as horticulture today has an insignificant presence in the state

Fact file: Monsoon affected poor productivity					
Area and production (2008-09)					
	Cereal	area, lakh ha production, lakh t	96 149 1.6		
	Pulses	yield, t/ha area, lakh ha production, lakh t yield, t/ha	1.6 37 18 0.5		
	Oilseeds	area, lakh ha production, lakh t vield, t/ha	0.5 47 52 1.1		
	Cotton	area, lakh ha production, lakh t yield, t/ha	3.0 1.2 0.4		
	Area and production (2009	•			
	Cereal	area, lakh ha production, lakh t yield, t/ha	98 117 1.2		
	Pulses	area, lakh ha production, lakh t	34 7		
	Oilseeds	yield, t/ha area, lakh ha production, lakh t	0.2 42 44 1.1		
	Cotton	yield, t/ha area, lakh ha production, lakh t yield, t/ha	1.1 4.4 1.5 0.3		
	GDP/ha, Rs (2004-05 pric	•	18,047 15,718		

Such agricultural development as has taken place has led to a dramatic depletion of groundwater because of excessive draw downs for irrigation. Soils show effects of unbalanced and at times excessive use of fertilisers and inadequate organic content. The erratic nature of monsoon rains too is likely to persist in the medium term. The urgent need is to change the subsistence orientation even as the dependence on agriculture for livelihood is unlikely to reduce in the near future.

The consolidated effect of all these factors is that agriculture progresses unevenly even as it is likely to meet the Eleventh Plan target of 3.5 per cent annual growth. Some other goals, such as diversifying agriculture, exploiting complementarities between crop and animal husbandry and greater thrust to horticulture are also likely to be only partially met, even as they remain extremely relevant.

These concerns call for a renewed and concerted effort to make agriculture a stable and growing sector. The present vicious cycle of poor value addition leading to low investments resulting in stagnation or worse needs to be broken. This requires a further commitment to some of the earlier objectives as well as some new ones.

Objectives of Agricultural Development

- Drought-proofing agriculture to maximum extent possible;
- Attaining growth rate of 4 to 5 per cent annually;
- Diversifying crop activities to increase income and employment, as well as to reduce risk and conserve water;
- Exploring synergies and complementarities between crop and non-crop activities, such as animal husbandry and added-value local processing;

These considerations lead to an identification of some key activities.

Thrust Areas for Agricultural Development

- Targetted research and extension;
- Newer commercial crops, especially horticulture and medicinal plants;
- Water conservation in agriculture;
- Renewed attention to animal husbandry and fodder cultivation;
- Increased primary processing in growing areas.

Specific policy and strategic measures will enable activating these thrusts.

- Seeking farmer inputs in setting research and extension agenda;
- Seed-centric approach to provide varieties suited to specific agro-climatic conditions and needs of state;
- Modifying existing cropping patterns or evolving new ones, including those for horticulture, using agricultural zones based on agro-climatic conditions as planning units and supporting them with necessary inputs and extension;
- Encouragement for sturdy fodder crops in areas where animal husbandry is important;
- Identifying primary processing possibilities such as dal and oil mills, cold storage, grading and packaging stations, and creating support facilities for them;
- Strengthening and modifying crop insurance to suit special circumstances of state;
- Measures for water conservation and its rational use as discussed in the water resources section, such as
 reducing the emphasis on water-intensive crops, and discouraging practices such as flood irrigation. Promoting
 sprinkler and drip irrigation and other modern methods to economise use of water where possible.



INDUSTRIAL TRANSFORMATION

Presently, industrial output accounts for 30 per cent of the state GDP, but it is dominated by processed agriculture— dairy products, oils and oilcakes — and mineral products — cement (Rajasthan is among the leading producers in the country), copper and zinc products. Smaller, unorganised units have a sizeable presence. They account for more than 40 per cent of the manufacturing output. Modern engineering or capital goods or consumer products industry has an insignificant presence in the state. Consequently, the employment generated by organised units is low, about 13 lakh, three-quarters of which is in the public sector. The challenge thus is to bring about a transformation whereby industry not only adds to the

growth but also to equitable employment generation and skill development.

The state faces some basic constraints, such as a relative paucity infrastructure, shortage of water, and limited local market for products. Administrative hurdles and skills deficit may have also been seen as difficulties by intending investors. Some of these are already on the way to resolution. The State has enacted a single window enabling and clearance act for this purpose. It has also introduced an industrial promotion scheme in 2010.

Fact file: Current status of Raindustries	ajasthan
State GDP from industries, 2010-11 (provisional)	Rs crore
Manufacturing Mining Construction Electricity, gas and water supply Total	36,164 6,329 32,669 7,050 82,211
Index no of industrial production in 2010 (provisional)	Base 1993-94
Manufacturing Mining Electricity General	325 291 351 331
Employment in organised sector in 2010 (provisional)	Lakh nos
Public sector Private sector Total	9.6 3.1 12.7

The Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) will bring the state closer to these hubs, besides several other fast growing industrial centres.

Industrial development in the Twelfth Plan will be based on a careful selection of activities to promote. This selection will be based on some basic considerations:

Objectives of Industrial Development

- Rapid, inclusive growth, leading to employment generation and skills development, which will be sustainable;
- Growth consistent with resource endowment of state;
- Minimising air and water pollution, as well as deterioration of land;
- Equitable and non-exploitative treatment of labour, especially women, minorities and scheduled castes and tribes;
- Promoting local entrepreneurship and creating climate conducive to private investment, supplementing it with public-private partnership where needed;
- Encouraging micro- small and medium enterprises to promote wider and more equitable industrial growth as well as greater local employment.

The desired end-point of the new thrust would be the emergence of a thriving industrial sector which exploits the synergy of resource and skills endowments and is geared to the needs of a technology-driven future.

These considerations lead to an identification of some key industrial activities.

Thrust Areas for Industrial Development

- Processing of agriculture, especially of newer, high technology, output of precision agriculture, such as
 floriculture and horticulture processing. This will lead to dispersal of processing units and employment of surplus
 agricultural labour even as it results in higher value-addition;
- Using newly-discovered resources of oil, natural gas, and conventional minerals to add value locally instead of merely shipping them out for use elsewhere. These would include power generation and petrochemicals. This will help create some large industrial complexes, which would have significant multiplier effects;
- Ancillary activities as facilitated by the development of DMIC;
- Skill enhancement to meet emerging needs of industry;
- Utilising existing skills pool of intricate craftsmanship to promote modern, precision hardware units such as those
 engaged in electronics, instrumentation and information technology. This will complement local expertise and
 help promote small and medium scale sunrise units.

Giving shape to this new thrust will require facilitation of a concerted nature.

- Streamlining of agencies and procedures for clearance of new units, through strengthening of single-window approach;
- Strengthening and enlarging infrastructure greater and stable availability of power, water of required quality
 and to required extent, strengthening and expanding road network, improved connectivity and communication
 network, gas grid, etc. Where feasible, public-private partnership to be desirable vehicle. Conditions conducive
 to this development to be created;
- Promoting use of new and renewable sources of power through creation of dedicated solar parks and wind farms:
- Further creation of industrial estates by Rajasthan Industrial Investment Corporation, some of which will be
 devoted to specific thrust areas listed above and to micro, small and medium enterprises;
- Easing restrictions on land purchase consistent with the proposed new legislation on land acquisition;
- Accelerating skill development and enhancement through encouragement of quality institutions and strengthening Industrial Training Institutes, including institutions dedicated to location-specific activities such as textiles in Bhilwara and stonework in Dholpur and Bharatpur.
- Developing industrial clusters at Divisional Headquarters;
- Developing industrial areas in public-private partnership mode.

MINERAL WEALTH

Rich Vein, to be Exploited Optimally

Rajasthan has a rich mineral base, making up 22 per cent of the industrial mineral production of the country. Mining alone contributes about 5 per cent of the state GDP. The mineral wealth comprises metals such as copper, lead and zinc, non-metals such as sandstone and gypsum, among others. The state is uniquely positioned with regard to zinc and rock phosphate and industries based on them have been a major feature of the state economy. Western Rajasthan also has substantial deposits of lignite (5 billion t), which are now being mined for feeding power plants.

In the last two decades, significant hydrocarbon reserves – oil as well as gas – have also been discovered in this area. They are now being commercially exploited. The state has major oil crude and gas pipelines for movement of these feedstocks. These trunk lines for fuel

movement hold the potential of establishing a grid for other uses as well.

Mining is not only a major source of employment in the state, especially in the tribal areas, but also a significant source of revenue. The revenue receipt of Rs 1,929 crore from this sector in 2010-11 was nearly 9 per cent of the total tax revenues of the state.

Fact file: Some key resources for future				
	Hydrocarbon deposits Oil Lean gas High quality gas	480 m t 11,800 m cu m 10,000 m cu m		
	Lignite deposits	5,000 m t		
	Production of key minerals in 2008-09, Limestone Copper ore Lead – zinc Gypsum Rock phosphate Ball clay China clay Fire clay Dolomite	'000 t 38,386 1,050 6,612 4,142 1,323 1,210 750 615 134		

Other minerals include silver, calcite, gemstones, ochres, etc

At the same time, mining also poses environmental challenges. The central Ministry of Environment and Forests (MoEF) has prepared a detailed manual for assessing the environmental impact of mining. The prescribed procedures are not always met. Illegal mining and exploitative conditions facing workers are further causes of concern. Some prospecting licenses for large areas remain unused for long periods as their holders do not convert them into actual mining leases. This is often inimical to optimising mining activities over time.

The pace of scientific exploration of the mineral wealth, including experimental drilling, seems to have tapered off in the recent past. Consideration for the future would suggest that this situation must be arrested and reversed at the earliest.

The relatively rich and as yet underexploited state resource of mining holds substantial potential for growth and contribution to the overall objective of inclusive development. Future efforts need to be guided not only by considerations of rapid exploitation of the resource but also by sound conservation and equity principles.

Objectives of Mineral Development

- Potential and reserves for various minerals and resources including base and noble metals to be established through modern exploration techniques, including satellite-based telemetry;
- Mineral wealth as finite resource, to be developed with due attention to sustainable rates of extraction and attendant consequences of air, water and land pollution;
- Some major mining areas being in forests, mining to be developed in synergistic manner along with forestry development;
- Linkages and opportunities for value-addition to raw minerals in state to be systematically explored and pursued;
- Safe and secure mining practices to minimise possibilities of accidents and explosions;
- Equitable and non-exploitative treatment of labour, especially women, minorities and scheduled castes and tribes;
- Promotion of local entrepreneurship and creation of climate conducive to private investment, supplementing it with public-private partnership where needed.

Mining and industrial activities based on it are rightly causing concerns at present due to the potential dangers and prevalence of undesirable practices in some parts of the country. The choice of thrust areas must take into account such concerns.

Thrust Areas for Mining Development

- Accelerating prospecting and exploration;
- Practising environmentally safe and justified mining operations;
- Ensuring optimal use of mineral resources by minimising gaps between prospecting leases and mining leases;
- Using newly-discovered resources of oil, natural gas, and conventional minerals to add value locally instead of
 merely shipping them out for use elsewhere. These would include power generation and petrochemicals. This
 will help create some large industrial complexes, which would have significant multiplier effects.

These thrusts in turn require some specific changes to strategies and procedures.

- Streamlining procedures to stipulate specific time frames for grant of reconnaissance permits, prospecting licenses, and mining leases, to avoid harassment and delays, as also to avoid excessively long gaps in converting prospecting licenses into mining leases. Effectively curbing undesirable practices such as long-term leases and subletting of mining leases;
- Institutional mechanisms for transparent and well-defined processes to encourage direct foreign investment as well as public-private partnerships;
- Mineral surveys, drilling and explorations to be accelerated by inviting reputed national and international agencies to participate with adequate incentives;
- Specific environment conservation norms to be defined in consonance with MoEF prescriptions and made integral parts of all licenses, clearances and permits,
- Strict stipulation of safety and equity norms for employment of all types of labour and their effective implementation. Special attention to be paid to occupational hazards inherent in mining operations and requisite remedial efforts;
- Specific measures to safeguard and promote long-term interests of the tribal population as also forests in mineral-rich areas especially in southern Rajasthan to be put in place;
- Substantially enhanced revenues resulting from implementation of ad valorem royalties to be used for creation of common wealth above ground. These revenues to be treated as capital receipts, to be used primarily for human development and creation of infrastructure in area concerned;
- Intensification of efforts to check illegal mining, including involvement of local panchayati raj bodies and adequate protection for whistle blowers;



EDUCATION, BASIC BUILDING BLOCK

Quality Improvement to Match Quantitative Achievements

An educated citizenry is a pre-condition for a modern state to discharge its responsibilities, just as an appropriately skilled work force is for the efficient working of all enterprises. India's

progress over the last six decades has been handicapped by the relatively low level of education and a low priority accorded to it.

The recent acute perception of this reality led to intensified efforts including Sarva Shiksha Abhiyan and higher priorities to all aspects of education, with right to education being recognised as a fundamental one.

Rajasthan has substantially improved access to education and enrolment at the primary level. The current levels are near universal, even in case of girls. Government schools dominate at this level, but there is a growing trend towards private ones at all levels.

Fact file: Universalising education				
Institutions/enrolment (2009-10) Govt pre/primary schools All pre/primary schools Govt upper primary schools All upper primary schools Govt higher/secondary schools All higher/secondary schools	No. (000) 47 52 28 51 9	Enrolment (lakh) 64 90 20 32 21 42		
Teachers (2009-10) Govt pre/primary schools All pre/primary schools Govt upper primary schools All upper primary schools Govt higher/secondary schools All higher/secondary schools		No. (000) 94 118 122 211 64 164		
Higher education institutions Universities (all types) Govt/aided/constituent colleges Private colleges Enrolment No of teachers		No. 36 224 1,245 4,22,000 3,961		
Professional institutions ITI/Polytechnics Engineering colleges Medical colleges		No. 1013 122 10		

This achievement is shaded by unsatisfactory state of learning as shown up in the recent status reports. A majority of students do not possess skills appropriate to the class in which they study. A high drop-out rate is also a cause for concern.

The stress so far has been on opening new schools to improve access and recruiting teachers, rather than on monitoring whether these resources are effectively deployed. The quality of instruction in all types of schools is less than satisfactory, mainly because the numerical strength of teachers does not reflect their quality. This situation is compounded by continuing shortages of and absenteeism among teachers. A shortage of science and mathematics teachers leaves the students handicapped in these key areas. The quality of education offered by rural schools falls short of that of urban schools. A worrying factor is that despite impressive gains in enrolling girls, gender bias still manifests itself from time to time.

There has been a mushroom growth of institutions at the tertiary level in recent times. Most of the new colleges are private not-aided ones, which often fail to meet the norms laid down by the University Grants Commission with regard to staff and facilities. The curricula and pedagogy seem to stress book-learning by rote, rather than internalising learning.

The pressing need now is to focus attention on the quality of education offered at all levels. Right-to-education would cover concerns not just of primary education, but also secondary schooling. The education imparted has to prepare the student for discharging specific functional responsibilities, rather than mere passing of examinations and acquiring degrees and diplomas devoid of professional competence. Therefore, added attention to vocationalisation and professional education is needed.

This reading of the ground suggests basic objectives for education in the Twelfth Plan.

Objectives for Educational Development

- Rigorous implementation of right to education entitlements including at secondary levels by removing remaining hurdles to take enrolment to universal levels;
- Improvement of quality of education offered at all levels;
- Reduction in drop-out rates at all levels;
- Bridging gap between rural and urban, as well as government and private institutions;
- Voctionalising higher levels of education to impart skills and abilities demanded by modern technology and enterprises;
- Meeting needs of differently-abled students.

These considerations can be met through some key activities.

Thrust Areas for Educational Development

- Intensive enrolment drive;
- Retention of students in schools;
- Teacher recruitment and training;
- Infrastructure and transport support;
- Facilitation for differently-abled,
- Curriculum and pedagogical innovations especially at tertiary and vocational levels;
- Special efforts in tribal areas.

Some specific policy and strategic measures will enable activating these thrusts.

- Community participation in enrolment and stay-in-school drives;
- Accelerated recruitment of qualified teachers and teachers' aides;
- Enhancing teacher training both at induction and in-service levels. Special stress on science and mathematics teaching;
- Strengthened monitoring of teacher presence in schools and periodic assessment of quality of instruction;
- Freeing teachers from non-teaching tasks, unless very essential;
- Allowing lateral entry at head master levels and above;
- Raising all primary schools to upper primary schools;
- Intensive drive to eliminate infrastructure deficit in current plan;
- Special efforts to meet needs of areas with high minority and marginalised section populations, especially tribal areas;
- Special schools for the differently-abled;
- Hostels for girl students especially in tribal areas;
- Stressing vocational education at post-secondary levels and providing incentives for such choices;
- Assessment of suitability of current tertiary education programmes in view of employment opportunities and skills in demand;
- Seeking private participation at all levels in all activities to create genuine community-based public-private partnership effort;
- Creating monitoring authority for educational institutions.



HEALTH FOR ALL

From Crisis to Progress

Provision of adequate and satisfactory health care to the population, especially to vulnerable sections – people below the poverty line (BPL), pregnant mothers, young children – continues to be a major concern for the country as a whole and even more so in Rajasthan. The state's performance on key indicators such as infant and maternal mortality lags behind the national average [which itself is below the Millennium Development Goals (MDG) of the United Nations]. The per capita expenditure on health in Rajasthan is Rs 808 a year, which is under 60 per cent of the national average. The Eleventh Plan had proposed to strengthen all aspects of health care, preventive, curative, palliative, as also rehabilitative, and raise spending on health

to 2 per cent of the GDP. These laudable objectives are yet to be achieved.

Some imbalances in the approach to health care were noted in the Mid-term Review of the Eleventh Plan. Spending on opening and strengthening of facilities such as PHCs fell short of targets, while that on buildings and staff quarters was in excess of targets. Severe shortages of professional staff, reaching nearly 50 per cent in some categories, were also noted.

	Fact file: Key determinants of health care delivery systems		
Facil	ities in 2010-11 Medical colleges District hospitals Sub-district hospitals Satellite hospitals Community health centres (CHC) Primary health centres (PHC) Sub-centres (SC)	10 34 12 5 384 1,525 11,487	
Perso	onnel Specialists Sanctioned Vacancies Superintending medical officers Sanctioned Vacancies Senior Medical officers Sanctioned Vacancies Vacancies	2,798 1,319 877 251 4,543 740	

The shortage of personnel is compounded by factors such as inappropriate placements, absence of monitoring systems and defective performance appraisal. Shortage of equipment and improper maintenance of existing facilities also affects their effectiveness adversely. Given the unsatisfactory state of primary care units, people shun them and crowd the secondary and tertiary facilities, creating further imbalances in health care delivery. This also often leads to an indiscriminate recourse to expensive and even unnecessary treatment from unregulated private facilities. Marginalised sections of the population, which are particularly vulnerable because of their limited awareness of problems, thus suffer from ill-health and high-cost ineffective care from unscrupulous providers.

This situation is in need of urgent attention to meet critical objectives.

Objectives of Health Care Development

- Approaching MDG targets in Twelfth Plan period;
- Covering preventive as well as curative aspects of health care with emphasis on sanitation;
- Defining carefully functions and responsibilities at various levels of facilities primary, secondary and tertiary to provide appropriate care;
- Expanding and prioritising coverage of women and children in all aspects of health care;
- Providing comprehensive health insurance coverage to marginalised sections.

Some major areas need to be pursued on a priority basis in the Twelfth Plan.

Thrust Areas for Health Care

- Adequate personnel of all categories;
- Enhanced provision of public financial resources;
- Expanded human and financial resource base including civil society projects and private initiatives;
- Stress on sanitation and prevention in addition to curative care;
- Research and tertiary care for diseases endemic to state;
- Use of alternative medicine and care systems to supplement conventional efforts.

Providing health care according to this approach, which is consistent with the earlier recommendations of the State Planning Board, calls for several specific measures.

- Creation of separate overall health service;
- Priority filling up of existing vacancies at all levels;
- Increasing number of nursing and paramedical staff and enhancing their training;
- Creation of regulatory authority to ensure quality health care and professional education;
- Availing of services of private practitioners where available and needed even in rural areas,
- Encouraging private and corporate sector to set up facilities on a public-private partnership basis throughout state;
- Increasing allocations to preventive care and sanitation so as to reduce greater expenditure on curative care.
 Suitable campaigns to educate the population on the importance of prevention and sanitary practices to be taken up on similar lines to those for mother and child care;
- Effective implementation of Janani-Shishu Suraksha Karyakram to bring down IMR and MMR.
- Effective implementation of scheme for free medicines for all;
- Adequate provision for research on diseases endemic to state;
- Using alternative medical systems as well for optimal delivery and provide clinical support to practitioners of alternative systems where necessary.



URBAN EXPLOSION

Coping with Unplanned Growth

Rapid and unplanned growth of cities and towns largely caused by migration from even faraway villages has been a feature of recent Indian history. Providing the ever-increasing population with even a modicum of civic services strains the relatively meagre resources of urban local government bodies. The fact that most of the new migrants are poor and live in unregulated slums leads to squalor.

Rajasthan is no exception to this, although its share of urban population of 25 per cent of the total is somewhat lower than the national average of 31 per cent. The state urban population

grew at a compounded annual rate of 3.1 per cent.

hazardous Congestion, air pollution caused by vehicular traffic, dearth of open spaces, severely limited water sanitation supply, and solid waste disposal systems, and strained public education and health facilities are among the most pressing problems. Some of these cause serious health issues also. The housing shortage leads to sprawling slums which are even worse off.

Fact file: Urbanisation over time and	d now
Urban population as % of total 1961	16
1971	18
1981 1991	21 23
2001	23
2011	25
Type of urban agglomerations in 2001 Class I (pop 100,000 and above)	
No	20
% of total population	13
Class II(pop 50,000 – 99,999)	00
No	26
% of total population Class III (pop 20,000 – 49,999)	3
No	90
% of total population	5
All classes	
No	222
% of total population	23
No of urban local bodies	183

The main bottleneck to working out solutions to these problems at the local level is a severe paucity of finance. The local bodies have limited discretionary means to tax and raise resources on their own. They have to depend perforce on grants and provisions under various state and central government schemes, which often have little flexibility and may not always offer appropriate solutions.

In view of this ground reality, urban development in the Twelfth Plan has to be guided by some basic objectives.

Objectives of Urban Development

- Provision of basic amenities and quality civic service to all residents;
- Provision of basic infrastructure to facilitate safe and smooth traffic and transport;
- Protection of environment;
- Slum development;
- Provision of alternatives to larger cities;
- Conservation of heritage structures and facilities.

In view of this ground reality, urban development in the Twelfth Plan has to be guided by some basic objectives.

Thrust Areas for Urban Development

- Further planned development of existing cities if possible;
- Husbanding and rationalisation of financial resources for urban bodies;
- Strengthening and expanding road and public transport networks to cope with traffic;
- Resources for improved sanitation and waste disposal systems to combat environmental pollution;
- Phased and planned provision of services and amenities to slums for their ultimate eradication;
- Planning integrated growth of smaller and medium sized cities to provide countermagnets to larger cities.

Specific policy and strategic measures follow from these priority concerns.

- Preparing master plans for all cities and towns where these are either not done or have not been revised recently;
- Specific schemes to reduce gap in quality of habitation between urban centres and peripheries;
- Providing advice and assistance to urban local bodies to widen and rationalise their tax efforts to exploit full potential of their powers;
- Seeking public-private partnerships to mobilise additional resources for specific purposes such as public transport, accelerated infrastructure creation, establishing waste disposal and recycling systems;
- Assisting local bodies to become more aware of various schemes and grants available under different schemes
 and sources, including state and central governments and international/multilateral agencies and enhancing their
 financial resources where necessary;
- Creating unified governing body for urban development;
- Improving quality of human resources available with local bodies to improve management of schemes and husbanding resources, as also an effective monitoring of projects.



SOCIAL SECURITY AND JUSTICE

Furthering Inclusive Growth

The Constitution of India specifically mandates the State to "promote with special care the educational and economical interests of the weaker sections of the people, and in particular of scheduled Castes and Scheduled Tribes, shall protect them from social injustice and all forms of exploitation" (Article 46), obviously mindful of the reality that fruits of development would

not necessarily be evenly distributed among all classes of the population.

Scheduled castes and tribes along with minorities make up nearly 40 per of the cent state The population. census of nomadic and de-notified tribes when completed will add to this number. The elderly, destitute and differently-abled people are among the marginalised also sections, which have been generally excluded from the development process.

Fact file: Status of sections	weaker	and vulner	rable
Composition (2001)		Population %	share,
Scheduled castes Scheduled tribes Minorities Elderly Destitute Differently-abled Children at risk (up to 18 yrs, out of school, workers)		17.2 12.6 10.1 6.0 2.5 2.5	
Composition of BPL families		Population, %	share,
Scheduled castes Scheduled tribes Other backward classes		25.2 31.0 34.3	
Literacy among groups, %	Male	Female	
Scheduled castes Scheduled tribes Overall population	69.0 62.1 75.7	33.9 26.2 43.9	

Most scheduled caste or tribal families possess small or no land-holdings. Their low resource base is compounded by poor employable attributes, as reflected in their comparatively poor literacy. This leads to their disproportionately large presence of the marginalised (over 90 per cent) in BPL families. Their poverty leaves them vulnerable to exploitation. Women in these groups are even more marginalised, with far poorer literacy rates

These groups face numerous problems: livelihood that ensures subsistence, adequate food and nutrition, access to education and health facilities, affordable housing, among others. The general population also has similar needs, but the extent of deprivation and long history of the marginalised classes make them more acute in their case. The state has a number of programmes and schemes under the social justice and empowerment department to meet these requirements. Their effectiveness is constrained by delays in providing benefits, multiplicity of agencies and departments (for example, agriculture, tribal development, rural development, women and child development, health) with a variety of often overlapping schemes at the district level sharing responsibilities, among others.

This is the reason for emphasis on meeting them with specific objectives.

Objectives for Social Security and Justice

- Timely economic and social development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward and marginalised sections;
- Social security for elderly, neglected women and children, destitute and differently-abled;
- Effective and extensive implementation of specific programmes meant for these purposes;
- Co-ordinated and unified approach to address specific problems of specific groups.

These considerations lead to an identification of some key activities.

Thrust Areas for Social Security and Justice

- Tribal area development;
- Education and literacy especially for women;
- Greater coverage under minority development programmes;
- Skill formation and enhancement for better employment;
- Documentation and other enabling and legal provisions for availing entitlements,

Specific policy and strategic measures will enable activating these thrusts.

- Proper definitions and identification processes to reduce problems of exclusion and inclusion;
- Programmes addressed to low-yielding agriculture as listed in agriculture section above, such as area-specific
 extension and input supply, to be modified to meet special needs of tribal areas;
- Scholarships, schools and hostels for tribal women and girls;
- Timely distribution of scholarships and other benefits already provided, such as text books in tribal areas by taking recourse to technological innovations such electronic transfers where possible;
- Special vocational training institutions for tribal areas;
- Unified approach at district levels to identify beneficiaries, timely compilation of relevant information and monitoring progress to minimise delays and speedy issuance of cards/UID cards to marginalised sections;
- Proposal to Planning Commission to consider blocks/town in place of districts as units for availing of minority development programme assistance;
- Further emphasis on schemes dealing with the elderly, destitute and nomadic tribes;
- Creation of Board for nomadic and de-notified tribes;
- Explicit budget provisions for differently-abled;
- Provision of suitably skilled personnel to care for differently-abled, especially women among them;
- Co-ordination of activities with private/civil society organisations working for specific marginalised groups to evolve replicable and sustainable partnership models, as done in midday meals programme.

DEMOCRATIC DECENTRALISATION

Towards Participative Planning

Democratic decentralisation is a Directive Principle of the Constitution. The 73rd constitutional amendment mandated Panchayati Raj Institutions (PRIs) to be given planning functions at appropriate levels. Rajasthan has also constituted district planning committees under the provisions of the Panchayati Raj Act as is the case with other states. These have now been given authority to plan and implement five functions, with commitments to transfer all the remaining functions. Since local bodies are powerless to act in the absence of funds, the

state government has started devolving funds in a phased manner. Other support measures are also contemplated.

These developments are too recent to have a major impact as yet. Some likely hindrances can be identified even at this early stage.

The first and the most critical one is personnel and skill deficit at local levels. Given the differences in living conditions between town and country, professionally personnel competent for the new positions would be hard to find. Their induction also affects local equilibrium.

Fact file: Devolution in Rajasthan

Transfer of functions

- Five functions (elementary education, agriculture, medical and health, women and child development, and social justice and empowerment) transferred to PRI from October 2010 onwards, along with personnel and funds;
- Committed to transfer all other functions listed in Schedule III in PRI Act (29 in all, covering 11 departments) in Twelfth Plan period.

Transfer of funds

- Rs 263 crore from state taxes assigned to PRI bodies;
- 10% of state plan funds assigned to PRI bodies as untied funds;
- Commitment to gradually increase these to 30%.

Other measures

- District collectors to head committees to oversee implementation of transferred activities;
- Positions of panchayat development officers and junior engineers to be created for all 9,177 gram panchayats.

Second, clarity and specificity regarding the tasks and responsibilities at the local level is needed for an effective use of devolved functions and funds. The district is not necessarily a miniature state and PRI functionaries are not necessarily counterparts of the state level ones. Neither are processes and methods of planning merely scaled-down versions of those employed at the state level.

Third, the current accounting and monitoring systems at district levels and below are not capable of handling the newly devolved responsibilities.

Fourth, local level decision-making could degenerate into a charter of demands, which could lead to patronage and all the evils that go with it.

Finally, a potential danger lurks in the form of possible reluctance to transfer effectively funds and functions to local levels despite directives and formal arrangements. This could take the form of cumbersome sanction and review requirements which would effectively retain powers at the state level.

Objectives of decentralisation need to address these concerns squarely.

Objectives of Decentralised Planning

- Effective devolution of functions, powers, personnel along with funds and explicit statements of duties, responsibilities and obligations at all levels;
- Capacity building for decision-making, monitoring and oversight at appropriate levels for government personnel and elected representatives;
- Flexible processes to do justice to local variations.

These objectives will have to be met by concerted thrusts in some areas.

Thrust Areas for Democratic Planning

- Planning processes for local areas;
- Professionally competent and trained personnel;
- Additional resource availability;
- Further devolution;
- Budgeting, monitoring and reporting systems.

A desirable set of policy and strategic measures follows from these objectives.

- Clearly enunciated guidelines for district level planning and monitoring functions, using Planning Commission's guidelines for district planning as starting point;
- Assessment and identification of skills required at district level for discharging responsibilities;
- Design and execution of special training programmes for officials as well as other stakeholders including elected representatives with inputs from other states and countries with relevant experience;
- Realistic assessment of needs at local levels, along with resource requirements and local availability/potential availability;
- Firm schedule for devolution of further functions and funds, along with conditionalities and ceilings, as applicable;
- Institution of more effective monitoring systems and double-entry book-keeping at district levels and their eventual, phased percolation to panchayat samiti and gram panchayat levels;
- Engagement of expert advisers and consultants with suitable experience to assist speedy execution of tasks.



TARGETTED DELIVERY SYSTEMS

Improving Last Mile Effectiveness

Hurdles in the way to deliver effectively full benefits of the development programmes to the intended recipient have been a bane of all activities, be it the public distribution system, old

age pensions or subsidies for specific agricultural inputs. These obstacles not only add to the deprivation of the recipient, but equally importantly, considerably dilute the impact of the programme as a whole.

To begin with, a conceptual framework to explore and use complementarities among state administration, self-governance bodies at the local level and civil society and private bodies is only now beginning to emerge, as discussed in the previous sections. This situation leads to several factors, internal and external to project management causing the less than satisfactory performance of the delivery system.

Fact file: Factors affecting delivery systems

Internal to project management

- Opaque project formulation processes;
- Long organisational distance from project formulation to execution;
- Inadequate communication regarding project provisions and entitlements;
- Cumbersome and time-consuming administrative processes;
- Absence of communication and co-ordination between multiple agencies responsible for project execution,;
- Time gap between announcement of the project and funds being actually released;
- Various types of discretionary powers at the delivery level

External to project management

- Dual pricing of goods and services meant for target groups
- Monopoly of single channel of distribution;
- Lack of awareness among recipients;

Other factors

- Perfunctory monitoring of project management, often taken up after long delay;
- General absence of local watchdog agencies cause delayed and weak signals to traverse feedback loop, resulting in inadequate response after long time gap.

Lack of awareness, opaque processes and delays create a sense of helplessness and resignation among project beneficiaries. This adversely affects the overall project effectiveness and a vicious cycle is perpetuated.

Rajasthan has already put in place an IT-enabled grievance redressal system called Sugam. It has also enacted a Guaranteed Delivery of Public Services Act. Services notified under the proposed Act will have to be provided to the beneficiary within the stipulated time by the designated officer. A failure to do so would attract punitive actions including fines.

A more effective delivery system is therefore an essential condition for the execution of the Twelfth Plan. A desirable system would be guided by specific objectives.

Objectives of Effective Delivery Systems

- Timely delivery of stipulated benefits to intended recipients;
- Minimisation of losses and leakages from benefit streams;
- Transparency in planning and execution of projects;
- Participative and flexible processes to do justice to urgency of reforming delivery systems.

These objectives will have to be met by concerted thrusts in some areas.

Thrust Areas for Effective Delivery Systems

- Clarity in project formulation and beneficiary identification as well as delivery channels;
- Timely execution of sequential activities, i e planning, identification and sanction of resources and delivery mechanisms;
- Additional channels for delivering benefits;
- Exploration of alternative organisational forms for improving delivery systems, such as participant or civil society organisations in partnership with government;
- Improved communication with target groups to improve awareness and transparency;
- Use of information technology and telecommunication for modern solutions.

This will lead to several interventions.

Strategic Interventions for Effective Delivery Systems

- Equitable, inclusive and transparent processes at all stages of project formulation and execution with involvement of project beneficiaries where possible as in case of water management;
- Clear enunciation of services to be delivered and their intended recipients and its effective communication, including use of mechanisms such as the Unique Identity (UID) introducers to create appropriate awareness of project objectives and entitlements among intended population;
- Minimum hierarchical distance in the delivery chain to reduce wastages and leakages;
- Provision of multiple delivery outlets where possible, as in case of public distribution system;
- Establishing model schemes which are relatively easy to implement and monitor and using them to derive appropriate learning for other projects;
- Effecting changes in user perceptions of projects and their benefits to ensure optimal use of resources for achieving priority objectives;
- Using modern technology, such as direct electronic transfers to beneficiaries through mechanisms of UID project as in case of old age pensions or subsidies under various schemes;
- Making civil society organisations if involved in delivering benefits sensitive to considerations of effectiveness and accountability;
- Restricting and monitoring discretionary powers, if not eliminating them;
- Monitoring and strengthening delivery performance at individual as well as organisational levels;
- Effective implementation of Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act.

CONCLUDING OBSERVATIONS

Towards Effective, Realistic Plan Preparation

This document addresses the major priority concerns for the Twelfth Plan in Rajasthan. These in turn have been derived from the mid-term assessment of the Eleventh Plan and a stocktaking exercise meant to establish benchmarks and emerging needs.

It must be reiterated that this Approach Paper is *not* a plan in the making. It is the starting point of detailed planning exercises to be taken up by concerned departments either by themselves or in collaboration with others. Specific schemes and projects will have to be designed in the thrust areas identified for each subject, to provide specific strategic interventions. Enumeration of project objectives, benefits, and resources required, together with criteria for identification of beneficiaries will be the next stage, supplemented by a phased, time-bound design for implementation and deliveries and appropriate monitoring systems would be the major elements of this planning process.

The State Planning Board has high confidence that the State Twelfth Plan emerging from such an exercise would effectively address the overarching objective of rapid, inclusive and sustainable growth.